प्रवेश विवरणिका

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति

सत्र 2023–24

नेक द्वारा
बी ग्रेड
प्रत्यायित

श्री राजीव गाँधी शासकीय महाविद्यालय

बण्डा, जिला–सागर (म. प्र.)

प्राचार्य संदेश

प्रिय नवप्रवेशित विद्यार्थियो,

शासकीय महाविद्यालय बण्डा, जिला-सागर में शिक्षा सत्र 2023-24 में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस महाविद्यालय का मूल उद्देश्य शिक्षा की आम गरीब से गरीब विद्यार्थियों के घर तक पहुँच सुनिश्चित करना है। हमारा मूल वाक्य है ''ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ निर्गमन'' अर्थात् ज्ञानार्जन के लिये विद्यार्थी संस्था में प्रवेश करें एवं ज्ञानार्जन की उपाधि ग्रहण करने के पश्चात् महाविद्यालय से समाजसेवा के लिये प्रस्थान करें।

विगत् सत्र 2021-22 से हमारे मध्यप्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है, जिसके फलस्वरूप शिक्षा के पारंपरिक बंधन शिथिल हुये हैं, नई शिक्षा नीति में शिक्षण के साथ प्रशिक्षण, तकनीकि कौशल एवं सामाजिक जुड़ाव को महत्व दिया गया है, ताकि विद्यार्थियों में न केवल स्वावलंबन का भाव विकसित हो, बल्कि वह राष्ट्र के विकास एवं समाजोत्थान में भी अपना योगदान दे सकें। नई शिक्षा नीति के इन्हीं सब उद्देश्यों से विद्यार्थियों को सविस्तार अवगत कराने के लिये यह बुकलेट/विवरणिका प्रकाशित की जा रही है।

आशा है कि विद्यार्थी इसका अध्ययन कर न केवल महाविद्यालय की अनुशासन नियमावली से अवगत होंगे व इसका पालन करेंगे, बल्कि नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं को आत्मसात करते हुये राष्ट्र के विकास में अपने योगदान की भावना को साकार करेंगे।

28.05.23

डॉ0 भगवानदास
प्राचार्य
PRINCIPAL
Govt. Degree College
BANDA (Sagar)

श्री राजीव गाँधी शासकीय महाविद्यालय
बण्डा, जिला-सागर (म. प्र.)

प्रवेश विवरणिका

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति

सत्रः 2023-24

Tel. : 07583-292011
E-mail : hegcbansag@mp.gov.in
Website : http://mphighereducation.nic.in/bandacollege

राष्ट्रीय गान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
भारत-भाग्य-विधाता ।

पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल बंगा ।
विंध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा
उच्छल-जलधि-तरंगा ।

तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशीष मांगे ।

गाहे तव जय गाथा ।

जन-गण-मंगल-दायक, जय हे
भारत-भाग्य-विधाता ।

जय हे, जय हे, जय हे ।
जय जय जय जय हे ।।

।।राष्ट्रगीत ।।

वंदे मातरम् ।
सुजलां सुफलां
मलयजशीतलाम्
शस्यश्यामलाम्
मातरम् ।

शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीम्
फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीम्
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम्
सुखदां वरदां मातरम् ।।1।।

कोटि-कोटि-कण्ठ-कल-कल-निनाद-कराले,
कोटि-कोटि-भुजैर्धृत-खरकरवाले,
अबला केन मा एत बले ।
बहुबलधारिर्णी नमामि तारिर्णी
रिपुदलवारिर्णी मातरत् ।।2।।

तुमि विद्या, तुमि धर्म
तुमि हृदि, तुमि मर्म
त्वं हि प्राणाः शरीरे
बाहुते तुमि मा शक्ति,
हृदये तुमि मा भक्ति,
तोमारई प्रतिमा गडि मन्दिरे- मन्दिरे ।।3।।

त्वम् हि दुर्गा दशहरणधारिणी
कमला कमलदलविहारिणी
वाणी विद्यादायिनी,
नामामि त्वाम्
नमामि कमलाम्
अमलां अतुलाम्
सुजलां सुफलाम्
मातरम् ।।4।।

वंदे मातरम्
श्यामलाम् सरलाम्
सुस्मिताम् भूषिताम्
धरणीं भरणीं
मातरम् ।वंदे मातरम् ।

श्री राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय
बण्डा जिला सागर (म.प्र.)

महाविद्यालय का परिचय :

उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ करने के उद्देश्य से सन् 4982 में स्थापित यह महाविद्यालय बुन्देलखण्ड के बण्डा विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र उच्च शिक्षा केन्द्र हैं। कला समूह के कुछ विषयों में अध्यापन के साथ आरंभ हुये शासकीय महाविद्यालय बण्डा (बेलई) को शासन ने श्री राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय बण्डा का नामकरण प्रदान किया। स्थापना वर्ष के अगले ही सत्र से महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय का अध्यापन प्रारंभ हो गया। वर्तमान में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान की स्नातक उपाधि के साथ ही राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य की स्नातकोत्तर कक्षाओं का अध्ययन इस महाविद्यालय में किया जा रहा है । लगभग दस वर्ष किराये के भवन में लगने के उपरांत अब महाविद्यालय अपने सुविधायुक्त भवन में संचालित किया जा रहा है, साथ ही नवीन संकाय भवन निर्माणाधीन है ।

विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के साथ उनके व्यक्तित्व विकास हेतु अनेक शैक्षणेत्तर क्रियाकलापों के साथ महाविद्यालय अपनी प्रगति का मार्ग निरंतर प्रशस्त कर रहा है। महाविद्यालय विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ उनकी योग्यता एवं क्षमताओं के अनुरुप उपयुक्त कैरियर मार्गदर्शन हेतु म.प्र. शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने "स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना" लागू की है। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य शासकीय महाविद्यालयों में कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ स्थापित कर विद्यार्थियों को कैरियर अवसरों एवं संभावनाओं से परिचित कराते हुए कैरियर की सफलतम राह पर आगे बढ़ाना है। इन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए श्री राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय में बण्डा में जुलाई 2006 में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की स्थापना कर समिति का गठन किया गया।

राष्ट्रीय सेवा योजना का केन्द्रीय लक्ष्य समाजसेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास कराना है। इस प्रकोष्ट के माध्यम से युवा वर्ग समाज की समस्याओं से प्रत्यक्ष परिचित होता है और भटके हुए लक्ष्यविहीन युवाओं को रचनात्मक कार्यो की ओर मोडती है। महाविद्यालय में एक लंबे अंतराल के बाद पुनः राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाईयां आरंभ की गई है । जिसमें छात्र-छात्राओं की संख्या 400-400 प्रति यूनिट है। इस वर्ष आगामी सत्र से एन.सी. सी.की छात्र एवं छात्रा इकाई के भी आरंभ होने की संभावना है।

महाविद्यालय ग्रामीण अंचल में होने के बावजूद परीक्षा में नकल जैसी समस्या से पूर्णतःमुक्त है और इसका श्रेय निःसंदेह रुप से प्राध्यापकों के कठोर परिश्रम को जाता है जिन्होंने स्टाफ की कमी का सामना करते हुए परीक्षा की गरिमा में कोई कमी नहीं आने दी।

महाविद्यालय की उन्नति और विद्यार्थियों के सर्वागीण विकास हेतु महाविद्यालय परिवार सौहार्द्र,सहयोग एवं समन्वय के साथ सदैव तत्पर है।

लक्ष्य :-

महाविद्यालय का लक्ष्य शिक्षा के उत्कृष्ट केन्द्र के रुप में स्थापित होकर समाज व देश के चहुंमुखी विकास हेतु विद्यार्थियों को सशक्त सकारात्मक भूमिका हेतु संपूर्ण नागरिक की भूमिका के निर्वहन के लिए तैयार करना है।

उद्देश्य :-

युवा पीढ़ी में आत्मविश्वास का संचार, व्यक्तित्व विकास, समानता की भावना, राष्ट्रप्रेम की भावना, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की भावना युक्त वातावरण प्रदान करना।

आचार संहिता (आचरण-संहिता) :-

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को निम्नलिखित आचरण संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा -

2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत अपने विद्याध्ययन में लगायेंगे, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित/अनुमोदित गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों में पूर्णतः सहयोग करेंगे ।
3. महाविद्यालय अर्थात भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास आदियें शांति, सुरक्षा और स्वच्छता बनाये रखने में प्रत्येक विद्यार्थी रुचि लेंगे द्य महाविद्यालय की संपत्ति अर्थात भवन,साज - सज्जा, विद्युत व्यवस्था, उपकरण आदि को किसी भी रुप में क्षति नहीं पहुँचायेंगे ।
4. विद्यार्थी अपनी कठिनाई के लिए हिंसा, आंदोलत या आतंक का मार्ग नहीं अपनायेंगे ।
5. महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां संचालित करना वर्जित है।
6. विद्यार्थी को कठिनाई हो तो वे प्राध्यापकों अथवा अति आवश्यक होने पर प्राचार्य के समक्ष पूर्ण अनुशासन से शांति पूर्वक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ / शिकायत पेटी के माध्यम से अपनी समस्या महाविद्यालय प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। महाविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षक अभिभावकों से संपर्क करें किंतु बाहरी तत्वों, समाचार-पत्रों को माध्यम न बनायें ।
7. विद्यार्थी को ये सावधानी रखनी होगी कि किसी अनैतिक एवं गंभीर अपराध का अभियोग उन पर न लगे परंतु यदि ऐसा हुआ तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ।
8. परीक्षा में अनुचित साथनों का प्रयोग करने का प्रयास करना या सहायक होना दुराचरण माना जायेगा एवं उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
9. महाविद्यालय एवं छात्रावास की सीमाओं में धूम्रपान एवं किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित है ।

आवश्यक सूचनायें :-

1. महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर वार्षिक परीक्षा पद्धति से एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेमेस्टर पद्धति से अध्यापन एवं परीक्षा कार्य संचालित है ।
2. आवेदक एवं उनके अभिभावक से अपेक्षा है कि विवरणिका को पूर्णतः पढ़ लें। विद्यार्थी अपना प्रवेश आवेदन फार्म स्वयं भरें एवं महाविद्यालय में स्वयं आकर जमा करें ।
3. विद्यार्थी अपना प्रवेश शुल्क स्वयं जमा करें तथा मूल प्रवेश रसीद प्राप्त करें । मूल रसीद सावधानीपूर्वक संभाल कर रखें ।
4. प्रवेश आवेदन फार्म के साथ अपनी अंकसूचियां एवं अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां अनिवार्य रुप से संलग्न करें । प्रवेश के समय अपनी मूल अंकसूचियां तथा प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें । आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये । गये प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रवेश अधिभार प्रदान किया जावेगा ।
5. महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी सभी नियम एवं सूचनायें समय-समय पर सूचना पटल पर चस्पा की जायेंगी। विद्यार्थी नियमित रूप से अवलोकन करें एवं प्रवेश की अंतिम तिथि का ध्यान रखें।
6. आवेदन की समस्त पूर्तियां किया जाना अनिवार्य है। अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. निधारित तिथि के बाद प्रवेश किसी भी दशा में संभव नहीं होगा ।

8. जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर/गलत जानकारी देने पर/जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों / प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है ।

9. प्रवेश लेकर बिना किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार 15 दिन या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य का होगा ।

10. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्याथी द्वारा महाविद्यालय छोड देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि (कॉशन मनी) के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जावेगा ।

11. कक्षाओं में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है । उपस्थिति पूर्ण न होने पर विद्यार्थी को परीक्षा में स्वाध्यायी के रूप में बैठना होगा ।

12. रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही, महाविद्यालय से निष्कासन, छात्रवृत्ति तथा अन्य प्रदत्त लाभ वापिस लेने की कार्यवाही के अलावा अर्थदंड और सार्वजनिक क्षमायाचना का भी प्रावधान रहेगा ।

महत्वपूर्ण (विशेष) : उपस्थिति

म.प्र. विधविद्यालय अधिनियम 4973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश कमांक 6 के अनुसार महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है । इस प्रावधान का पालन दृढ़ता से किया जायेगा । उपस्थिति पूरी न होने पर परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के सत्र में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी

रैगिंग :

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27/11/2006 संदर्भ एस.एल.पी. 2495/06 केरल विधविद्यालय विरुद्ध महाविद्यालय प्राचार्य परिषद तथा एस. एल.पी. कमांक 24296-24299 / 2004 डब्लू . पी (सी. आर.सी.) नं . 173/2006 तथा एस.एल.पी. क्रमांक 14356/2005 के अनुसार रैगिंग एक दंडनीय अपराध है। महाविद्यालय या छात्रावास परिसर में या अन्यत्र कहीं भी रैगिंग लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है । रैगिंग के लिए दोषी विद्याथी को महाविद्यालय से निष्कासित किया जाकर उसके विरूद्ध कठोर, निषेधात्मक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी वरिष्ठ विद्यार्थी इसका ध्यान रखें ।

दंड :

म. प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश कमांक 7 की धारा 43 के अनुसार महाविद्यालय परिसर या बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर दोषी विद्यार्थी के विरुद्ध निम्नानुसार दंड का प्रावधान है ।

1. कक्षाओं से निलंबन
2. महाविद्यालय से निष्कासन
3. वि.वि. / स्वशासी परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना
4. FIR दर्ज कराना

मध्य प्रदेश शासन (परिशिष्ट – 3)
उच्च शिक्षा विभाग
ऑनलाईन प्रवेश समय–सारणी
सत्र 2023–24 **(epravesh.mponline.gov.in)**

क्र	कार्य का विवरण	स्नातक (प्रथम वर्ष)		कुल	स्नातकोत्तर (प्रथम सेमेस्टर)		कुल
		दिनांक से	दिनांक तक	दिवस	दिनांक से	दिनांक तक	दिवस
	प्रथम चरण						
1	(अ) ऑनलाईन पंजीयन एवं महाविद्यालय/ पाठ्यक्रम/विषय समूह का विकल्प देना	25.05.2023	12.06.2023	19	26.05.2023	13.06.2023	19
	(ब) ऑनलाईन दस्तावेजों का सत्यापन (आवेदकों को सत्यापन हेतु सहायता केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जिन आवेदकों को त्रुटि सुधार हेतु संदेश प्रेषित किया गया है, उन्हें निकटतम सहायता केन्द्र में उपस्थित होकर सुधार करवाना)	26.05.2023	15.06.2023	21	27.05.2023	16.06.2023	21
	(स) प्रथम चरण के सीट आवंटन पत्र जारी करना एवं कट ऑफ की पोर्टल पर जानकारी प्रदर्शित करना।	19.06.2023		–	20.06.2023		–
	(द) आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना एवं आवश्यक होने पर प्रवेश हेतु इच्छित महाविद्यालय के अपग्रेडेशन का विकल्प भरना (प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा, प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जावेगा)	19.06.2023	23.06.2023	05	20.06.2023	24.06.2023	05
	(य) विद्यार्थियों द्वारा दिए गए अपग्रेडेशन विकल्प के आधार पर स्थान रिक्त होने की दशा में अपग्रेडेड महाविद्यालय आवंटित किया जायेगा । अपग्रेडेशन से रिक्त स्थान गुणानुक्रम के आधार पर शेष आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किया जाना। अपग्रेडेशन न होने की स्थिति में पूर्व में जारी आवंटन यथावत रहेंगा।	25.06.2023		–	26.06.2023		–
	(र) अपग्रेडेशन से रिक्त स्थानों पर आवंटित आवेदकों को आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना (प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा, प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जावेगा)	25.06.2023	29.06.2023	05	26.06.2023	30.06.2023	05
	प्रथम सी.एल.सी. चरण						
2	(अ) ऑनलाईन पंजीयन एवं महाविद्यालय/ पाठ्यक्रम/विषय समूह का विकल्प देना	19.06.2023	27.06.2023	09	20.06.2023	28.06.2023	09
	(ब) ऑनलाईन दस्तावेजों का सत्यापन (आवेदकों को सत्यापन हेतु सहायता केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जिन आवेदकों को त्रुटि सुधार हेतु संदेश प्रेषित किया गया है, उन्हें निकटतम सहायता केन्द्र में उपस्थित होकर सुधार करवाना)	20.06.2023	30.06.2023	11	21.06.2023	01.07.2023	11
	(स) ऑनलाइन CLC चरण प्रक्रिया में महाविद्यालयो द्वारा प्रवेश निर्देशिका की कंडिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रावीण्य सूची तैयार कर महाविद्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करना । आरक्षण श्रेणी में कोई उम्मीदवार नहीं होने की स्थिति में रिक्त सीटों के लिए नियमानुसार सीट परिवर्तन नियम लागू किया जाएगा	03.07.2023		–	04.07.2023		–
	(द) आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना एवं आवश्यक होने पर प्रवेश हेतु इच्छित महाविद्यालय में पाठ्यक्रम/विषय समूह के अपग्रेडेशन का विकल्प भरना	03.07.2023	07.07.2023	05	04.07.2023	08.07.2023	05
	(य) अपग्रेडेशन से रिक्त स्थान गुणानुक्रम के आधार पर शेष आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किया जाना। अपग्रेडेशन न होने की स्थिति में पूर्व का आवंटन जारी रखा जावेगा ।	10.07.2023		–	11.07.2023		–
	(र) अपग्रेडेशन से रिक्त स्थानों पर आवंटित आवेदकों को आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना (प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा, प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जावेगा)	10.07.2023	13.07.2023	04	11.07.2023	14.07.2023	04

मध्य प्रदेश शासन

(परिशिष्ट – 3)

उच्च शिक्षा विभाग

ऑनलाईन प्रवेश समय–सारणी

सत्र 2023–24 **(epravesh.mponline.gov.in)**

	द्वितीय सी.एल.सी. चरण						
3	(अ) ऑनलाईन पंजीयन एवं महाविद्यालय/ पाठ्यक्रम/विषय समूह का विकल्प देना	07.07.2023	12.07.2023	06	07.07.2023	12.07.2023	06
	(ब) ऑनलाईन दस्तावेजों का सत्यापन (आवेदकों को सत्यापन हेतु सहायता केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जिन आवेदकों को त्रुटि सुधार हेतु संदेश प्रेषित किया गया है, उन्हें निकटतम सहायता केन्द्र में उपस्थित होकर सुधार करवाना)	08.07.2023	15.07.2023	08	08.07.2023	15.07.2023	06
	(स) ऑनलाइन CLC चरण प्रक्रिया में महाविद्यालयो द्वारा प्रवेश निर्देशिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रावीण्य सूची तैयार कर महाविद्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करना । आरक्षण श्रेणी में कोई उम्मीदवार नहीं होने की स्थिति में रिक्त सीटों के लिए नियमानुसार सीट परिवर्तन नियम लागू किया जाएगा	18.07.2023		–	19.07.2023		–
	(द) आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना एवं आवश्यक होने पर प्रवेश हेतु इच्छित महाविद्यालय में पाठ्यक्रम/विषय समूह के अपग्रेडेशन का विकल्प भरना	18.07.2023	22.07.2023	05	19.07.2023	22.07.2023	04
	(य) अपग्रेडेशन से रिक्त स्थान गुणानुक्रम के आधार पर शेष आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किया जाना। अपग्रेडेशन न होने की स्थिति में पूर्व का आवंटन जारी रखा जावेगा ।	24.07.2023		–	25.07.2023		–
	(र) अपग्रेडेशन से रिक्त स्थानों पर आवंटित आवेदकों को आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना (प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा, प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जावेगा)	24.07.2023	27.07.2023	04	25.07.2023	28.07.2023	04
	तृतीय सी.एल.सी. चरण						
4	(अ) ऑनलाईन पंजीयन एवं महाविद्यालय/ पाठ्यक्रम/विषय समूह का विकल्प देना	20.07.2023	24.07.2023	05	21.07.2023	25.07.2023	05
	(ब) ऑनलाईन दस्तावेजों का सत्यापन (आवेदकों को सत्यापन हेतु सहायता केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जिन आवेदकों को त्रुटि सुधार हेतु संदेश प्रेषित किया गया है, उन्हें निकटतम सहायता केन्द्र में उपस्थित होकर सुधार करवाना)	21.07.2023	27.07.2023	07	22.07.2023	28.07.2023	07
	(स) ऑनलाइन CLC चरण प्रक्रिया में महाविद्यालयो द्वारा प्रवेश निर्देशिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रावीण्य सूची तैयार कर महाविद्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करना । आरक्षण श्रेणी में कोई उम्मीदवार नहीं होने की स्थिति में रिक्त सीटों के लिए नियमानुसार सीट परिवर्तन नियम लागू किया जाएगा	31.07.2023		–	31.07.2023		–
	(द) आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना एवं आवश्यक होने पर प्रवेश हेतु इच्छित महाविद्यालय में पाठ्यक्रम/विषय समूह के अपग्रेडेशन का विकल्प भरना	31.07.2023	04.08.2023	05	31.07.2023	04.08.2023	05
	(य) अपग्रेडेशन से रिक्त स्थान गुणानुक्रम के आधार पर शेष आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किया जाना। अपग्रेडेशन न होने की स्थिति में पूर्व का आवंटन जारी रखा जावेगा ।	05.08.2023		–	05.08.2023		–
	(र) अपग्रेडेशन से रिक्त स्थानों पर आवंटित आवेदकों को आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना (प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा, प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जावेगा)	05.08.2023	09.08.2023	05	05.08.2023	09.08.2023	05

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत चयनित किये जाने वाले विषय

(LEVEL-5) (**प्रथम वर्ष**)

कला संकाय

विषय :-	(1) इतिहास	(2) अर्थशास्त्र	(3) राजनीति विज्ञान
	(4) अंग्रेजी साहित्य	(5) हिन्दी साहित्य	(6) समाजशास्त्र

विद्यार्थी उपर्युक्त विषयों में से किसी एक विषय को मेजर, एक विषय माइनर, तथा एक विषय इलक्टिव के रूप में चयन करेंगे ।

व्यवसायिक पाठ्यक्रम में **व्यक्तित्व विकास** को तथा **प्रोजेक्ट** (परियोजना कार्य) का चयन करेंगे ।

विज्ञान संकाय

विषय :-	(1) भौतिक शास्त्र	(2) रसायन शास्त्र	(3) गणित
	(4) जीवनविज्ञान	(5) वनस्पति विज्ञान	

PCM समूह लेने के इच्छुक विद्यार्थी भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा गणित विषय में से किसी एक विषय को मेजर, एक विषय माइनर तथा एक विषय इलेक्टिव के रूप में चयन करेंगे ।

CBZ समूह लेने के इच्छुक विद्यार्थी रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान तथा जीवन विज्ञान में से किसी एक विषय को मेजर, एक विषय माइनर तथा एक विषय इलेक्टिव के रूप में चयन करेंगे ।

व्यवसायिक पाठ्यक्रम **वर्मी कम्पोंस्टिंग** को तथा **प्रोजेक्ट** (परियोजना कार्य) का चयन करेंगे ।

वाणिज्य संकाय

विषय :-	(1) वित्तीय लेखांकन	(2) व्यापारिक संगठन तथा संप्रेषण
	(3) बैंकिंग तथा बीमा	

उपर्युक्त विषयों में से किसी एक को मेजर, एक विषय माइनर तथा एक विषय इलेक्टिव के रूप में चयन करेंगे । **व्यवसायिक पाठ्यक्रम में वित्तीय सेवायें और बीमा को** तथा **प्रोजेक्ट** (परियोजना कार्य) का चयन करेंगे ।

नोट :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थी विषय का भी चयन कर सकता है ।

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

मुख्य विशेषताएँ

❊ स्नातक स्तर पर चार वर्षीय पाठ्यक्रम
❊ च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम
❊ विद्यार्थी केन्द्रित अकादमिक लचीलापन
❊ बहु विषयक दृष्टिकोण
❊ बहु प्रविष्टि एवं बहु निकास की उपलब्धता
❊ रोजगार परक व्यवसायिक पाठ्यक्रम
❊ व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा देने हेतु प्रथम वर्ष से ही इन्टर्नशिप का प्रावधान
❊ भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ्यक्रम में समावेश
❊ शोध प्रविधि एवं स्नातक शोध प्रबंध
❊ क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा
❊ प्रत्येक विद्यार्थी को ऑनर्स पाठ्यक्रम करने का अवसर
❊ कला, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों को बढ़ावा देना
❊ जीवन कौशल विकसित करना
❊ व्यावहारिक शिक्षा

❊❊❊

स्नातक पाठ्यक्रम की संरचना
विद्यार्थी को स्नातक स्तर पर निम्नानुसार विषय का अध्ययन अनिवार्य होगा

एक मुख्य विषय (Major)
एक गौण विषय (Minor)
एक वैकल्पिक विषय (Open Elective Course)
एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम (कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम) (Vocational Course)
अनिवार्य विषय के रूप में आधार पाठ्यक्रम (योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम) (Foundation Course)
प्रशिक्षुण/परियोजना/शिक्षुता/सामाजिक जुड़ाव एवं सेवा (Internship/Field Project/Apprenticeship/Community Engagement and Services)

स्नातक चतुर्थ वर्ष में अध्ययन के विषय

तीन मुख्य प्रश्न पत्र
शोध प्रविधि, स्नातक शोध प्रबंध
इंटर्नशिप/शिक्षुता (Internship/Apprenticeship)

अकादमिक संरचना

❊	**मुख्य विषय** (Major)	-	56 Credits
❊	**गौण विषय** (Minor)	-	26 Credits
❊	**वैकल्पिक विषय** (Open Elective Course)	-	18 Credits
❊	**कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम** (Vocational Course)	-	12 Credits
❊	**आधार पाठ्यक्रम** (Foundation Course)	-	24 Credits
❊	**प्रशिक्षुता/परियोजना/शिक्षुता/सामाजिक जुड़ाव एवं सेवा** (Internship/Field Project/Apprenticeship/Community Engagement and Services)	-	24 Credits
	कुल क्रेडिट	-	**160**

प्रशिक्षुता/परियोजना/शिक्षुता/सामाजिक जुड़ाव एवं सेवा

(Internship/Field Project/Apprenticeship/Community Engagement and Services)

- स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष में विद्यार्थी को फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप/शिक्षुता/ सामुदायिक जुड़ाव और सेवा में से किसी एक का चयन कर 04 क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य होगा।
- मुख्य विषय (Major) के अतिरिक्त गौण विषय (Minor)/वैकल्पिक विषय (Open Elective Course) में स्नातकोत्तर करने के लिए विद्यार्थी को तृतीय वर्ष में आधार पाठ्यक्रम के स्थान पर Subject Related Project का चयन कर 8 क्रेडिट अर्जित करने होंगे।

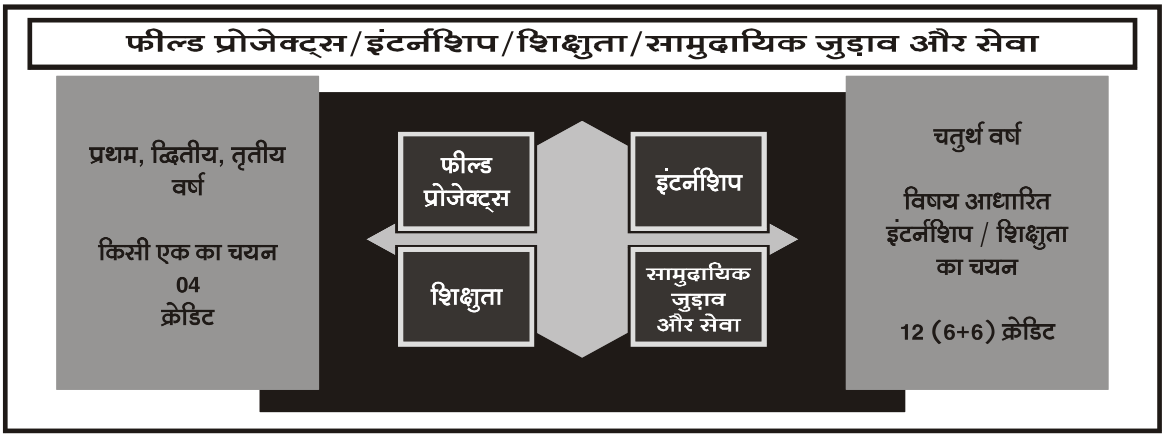

नोट- 1. महाविद्यालय में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के कला, वाणिज्य तथा विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिये **प्रोजेक्ट (परियोजना कार्य)** का विकल्प रहेगा ।

2. स्नातक चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी को विषय आधारित प्रशिक्षुता/शिक्षुता (Internship/Apprenticeship) में से किसी एक का चयन कर 12 (6+6) क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य होगा।

क्रेडिट सिस्टम एवं प्रश्न पत्र की संख्या

- स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष में मुख्य विषय (Major) 56 क्रेडिट का होगा।
- प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में मुख्य विषय में 6-6 क्रेडिट के दो प्रश्न पत्र होंगे।
- तृतीय वर्ष में मुख्य विषय के 6-6 क्रेडिट के दो विषय विशिष्ट वैकल्पिक (Descipline Specific Elective) के प्रश्न पत्र होंगे।

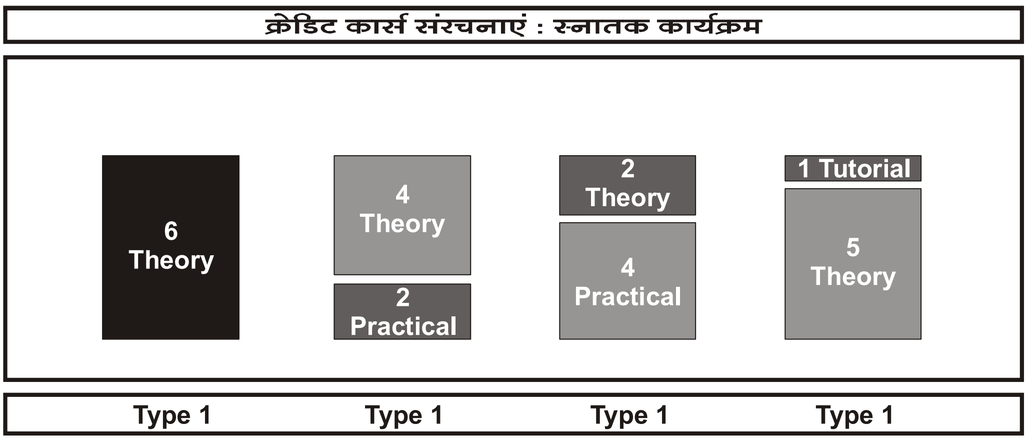

बहुआगमन एवं निर्गमन

Level	वर्ष		क्रेडिट	कोर्स
Level 5	प्रथम वर्ष	:	40	सर्टिफिकेट
Level 6	द्वितीय वर्ष	:	40	डिप्लोमा
Level 7	तृतीय वर्ष	:	40	डिग्री
Level 8	चतुर्थ वर्ष	:	40	बैचलर विथरि रिसर्च

कुलक्रेडिट : (40+40+40+40) = 160

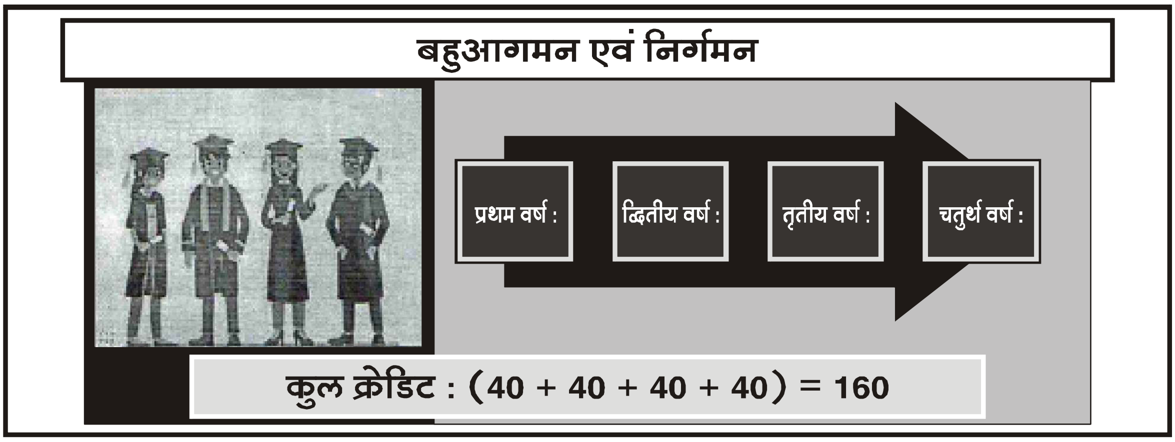

वैकल्पिक विषय (इलेक्टिव) की उपलब्धता

- अंतर संकायी विषय के चयन हेतु प्रत्येक महाविद्यालय में विकल्प की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- एकल संकाय महाविद्यालय में अन्य संकाय के विषयों की अध्यापन व्यवस्था जिला मुख्यालय में अवस्थि तहत विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों की सहायता से हो सकेगी।
- कला और वाणिज्य के एकल संकाय महाविद्यालयों में अन्य किसी भी संकाय के तहत विज्ञान संकाय से विषय चुनने का विंकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

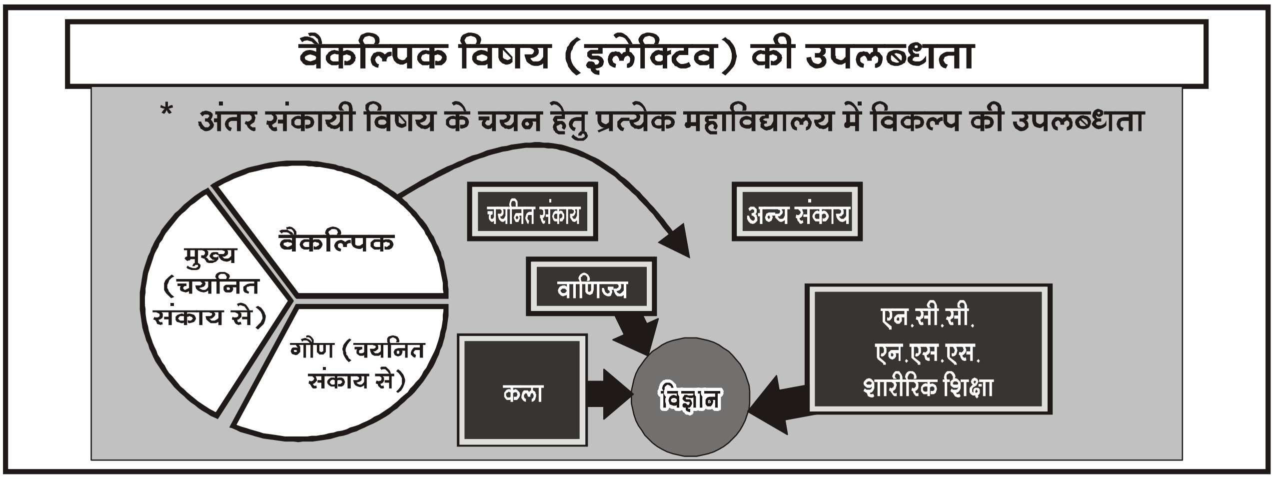

वैकल्पिक (इलेक्टिव विषय) केवल अंतर संकाय

Arts	Science	Commerce	Other
मध्यप्रदेश के लोकनृत्योंकासामान्य परिचय	हर्बलप्रसाधनसामग्री	व्यवसाय अध्ययन के आधारभूतसिद्धांत	एनसीसी
भारतऔरबैंकिंगका अर्थशास्त्र	नर्सरीप्रबंधन	लेखांकनकामूलसिद्धांत	एनएसएस
भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना	दैनिक जीवन मेंरसायन शास्त्र	भारतमेंबैकिंगसंस्थाएं	शारीरिक शिक्षा
संगठनात्मकव्यवहार	औषधीय रसायन के मूलसिद्धांत	मुद्रा एवंबैंकिंग	
कम्युनिकेटिवअंग्रेजी	कम्प्यूटरफंडामेंटल	व्यवसायिकसंगठन एवंप्रबंधन	
भौतिकीभूगोल	एमएसऑफिस		
पर्यावरणीय मुद्देऔरआपदाप्रबंधन	मल्टीमीडिया और एनिमेशन		
रीजन मूलकहिंदीऔरजनसंपर्क	स्प्रेडशीट के माध्यम सेडेटा विश्लेषणऔर विजुअलाइजेशन		
हिन्दी अनुप्रयोगऔरविज्ञापनव्यवसाय	भूविज्ञान के तत्व		
भारतमेंविरासतप्रबंधन	खनिजऔरचट्टानें		
भारतकासंवैधानिकइतिहास	प्राथमिकउपचार, नर्सिंगऔरहाइजीन		
चिकित्साऔरकल्याणपर्यटन	रंगाईऔरछपाई		
प्राथमिकउपचार, नर्सिंगऔरहाइजीन	बलअधिकारऔरमहिला सशक्तिकरण		
रंगाईऔरछपाई	हाउस किपिंग एण्ड हॉस्पिटेलिटीमैनेजमेन्ट		
बालअधिकारऔरमहिला सशक्तिकरण	लॉजिकऔरसेट		
हाउसकिपिंग एण्ड हॉस्पिटेलिटीमैनेजमेन्ट	मैट्रिक्स, ज्यामितिऔरवेक्टर बीजगणित		
भारतीय संगीतकासामान्य अध्ययन	गैरपारंपरिकऊर्जासंसाधन		
मध्यप्रदेश की संगीतविरासत	मानवरोग		
भारतीय संगीतकासामान्य अध्ययन	मधुमक्खीपालन		
रामचरितमानसकादार्शनिकचिंतन	रेशमउत्पादन		
क प्रशासन : सिद्धांत एवंव्यवहार			
भारतीय राजनीतिकव्यवस्था			
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन			
समाजशास्त्र कापरिचय			
भारतीय समाज एवंसंस्कृति			

नोट :- महाविद्यालय में वेकल्पिक विषय के लिये अंतरसंकायी विषय का विकल्प नहीं रहेगा।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

- **उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु व्यावसायिक व कौशलसंवर्धन के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 का अभिन्न अंग है।**
- **विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में संचालन हेतु व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष 4-4 क्रेडिट के होंगे, तथा इनमें प्रशिक्षण की अवधि 60 घण्टे की होगी।**
- **विद्यार्थी प्रति वर्ष नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं अथवा चयनित किये पाठ्यक्रम में उत्तरोत्तर कौशल संवर्धन के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं।**
- **महाविद्यालय अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रम काचुनाव कर सकेंगे।**
- **इनकी अध्यापन व्यवस्था सेक्टर कौंसिल अथवास्थानीय विभागों (कृषि, विद्युत, तकनीकी शिक्षा) अथवा अन्य संस्थानों के सहयोग से करेंगे।**
- **विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये समूह (पूल) में से महाविद्यालय स्तर पर भी उपलब्ध संसाधनों के आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने की व्यवस्था की जाएगी।**
- **विद्यार्थियों** SWAYAM/NPTEL/P M Kaushal Vikas Yojna Open University **के ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्वयं के संसाधन से पूर्ण करने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।**

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

1	सौंदर्य और स्वास्थ्य कल्याण	13	विद्युत प्रौद्योगिकी (Electrical Technology)
2	औषधीय (Medicinal Plants)	14	इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी
3	पोषण और आहाद विज्ञान (Nutrition and dietetics)	15	हस्त शिल्प (Handicrafts)
4	निर्यात आयात प्रबंधन (Export Import Management)	16	खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण (Food Preservation and Processing)
5	जीएसटी के साथ ई-एकाउंटिंग और कराधान (E-Accounting and Taxation with GST)	17	जैविक खेतीबागवानी (Organic Farming)
6	वित्त सेवाएं और बीमा (Finance Service and Insurance)	18	बागवानी (Horticulture)
7	खुदरा प्रबंधन (Retail Management)	19	सुरक्षा सेवाएं (Security Services)
8	डिजिटल मार्केटिंग (Digital Marketing)	20	कार्यालय प्रक्रिया और व्यवहार (Office Procedure and Practices)
9	बिक्री कौशल (Salesmanship)	21	व्यक्तित्व विकास (Personality Development)
10	अकाउंटिंग और टैली कोर्स (Accounting and Tally)	22	पर्यटन परिवहन और यात्रा सेवाएं (Tourism Transport and Travel Services)
11	डेस्कटॉप प्रकाशन (डीटीपी) (Desktop Publishing DTP)	23	वर्मी कम्पोस्टिंग (Vermicomposting)
12	वेब डिजाइनिंग (Web Designing)	24	डेयरी प्रबंधन (Dairy Management)
		25	चिकित्सा निदान (Medical Diagnostics)

नोट – महाविद्यालय में व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिये कला संकाय के विद्यार्थियों को व्यक्तित्व विकास, विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को वर्मी कम्पोस्टिंग तथा वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों की वित्त सेवायें और बीमा चयन का विकल्प रहेगा ।

नोट – यदि कोई विद्यार्थी भिन्न अकादमिक संरचना से उत्तीर्ण है तब उसे अध्यादेश 14 A तथा 14 B द्वारा निधारित नवीन अकादमिक संरचना अनुसार म. प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग पत्र क्रमांक 874/88/सी.सी./22/38 भोपाल, दिनांक 04/11/2022 निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के क्रियान्वयन (सत्र 2024-22) के पूर्व स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष वार्षिक पद्धति से उत्तीर्ण/पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को क्रमशरू स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा सेमेस्टर पद्धति से द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर उत्तीर्ण/पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को क्रमशः तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश प्रदान किया जाए। नियमित प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों का अध्यादेश 14 A/14 B अनुसार शिक्षण एवं परीक्षा आयोजन किया जाए। स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप मैं अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा पुरानी पद्धति से आयोजित की जाए।

2. सत्र 2024-22 के पूर्व वार्षिक पद्धति से स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा सेमेस्टर पद्धति से द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर उत्तीर्ण/पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को नियमित प्रवेश प्राप्त करने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम के शेष प्रश्न -पत्र, प्रायोगिक कार्य, व्यावसायिक विषय तथा फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप/एप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी ऍंगेजमेंट एण्ड सर्विस आदि विषयों की परीक्षाओं को प्रवेशित कक्षा की परीक्षा के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी को नवीन पाठ्यक्रम अनुसार निर्धारित क्रेडित अर्जित करने होंगे।

3. सेमेस्टर/वार्षिक की पुरानी पद्धति से उत्तीर्ण विद्यार्थी को ग्रेड प्रदान करने के लिए क्रमशः परिशिष्ट 1 एवं 2 अनुसार समतुल्यता निर्धारित की जाए जिससे उनका परीक्षा परिणाम समान रूप से तैयार किया जा सके। क्रेडिट गणना के लिए अध्यादेश क्रमांक 14ए के अंतर्गत स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु गणना पत्रक परिशिष्ट-1 अनुसार तथा अध्यादेश क्रमांक 14 बी के अंतर्गत स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतुल्अणना पत्रक परिशिष्ट-2 अनुसार होगा।

अध्यादेश क्रमांक 14 B के अन्तर्गत स्नातक द्वितीय / तृतीय वर्ष में
प्रवेशित विद्यार्थी हेतु गणना पत्रक
(राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन से पूर्व में लागू प्रणाली से उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु)

क्र.	विषय	क्रेडिट की गणना		अंकों की गणना
		सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्रों की कुल संख्या	क्रेडिट मान	
1	मुख्य	2 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र 2 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र एवं 1 प्रायोगिक 3 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र एवं 1 प्रायोगिक	12 12 12	प्राप्तांकों की आनुपातिक गणना 100 अंकों के समतुल्य मानकर की जाएगी
2	गौण/वैकल्पिक	2 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र 2 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र एवं 1 प्रायोगिक 3 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र एवं 1 प्रायोगिक	6 6 6	प्राप्तांकों की आनुपातिक गणना 100 अंकों के समतुल्य मानकर की जाएगी
3	आधार पाठ्यक्रम	3 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र	6	प्राप्तांकों की आनुपातिक गणना 100 अंकों के समतुल्य मानकर की जाएगी
4	व्यावसायिक विषय	4 क्रेडिट (पूर्व प्रणाली में प्रावधानित नहीं)		प्राप्तांकों की आनुपातिक गणना 100 अंकों के समतुल्य मानकर की जाएगी
5	फील्ड प्रोजेक्ट/ परियोजना कार्य / इंटर्नशिप / एप्रेन्टिसशिप / कम्यूनिटी एंगेजमेंट	4 क्रेडिट (पूर्व प्रणाली में प्रावधानित नहीं)		विद्वार्थी द्वितीय वर्ष में इनमें से किन्हीं दो (फील्ड प्रोजेक्ट/ परियोजना कार्य / इंटर्नशिप / एप्रेन्टिसशिप / कम्यूनिटी एंगेजमेंट) का अध्ययन पूर्ण करेंगे

यदि किसी विद्यार्थी ने बी.एस-सी. प्रथम वर्ष में गणित, भौतिक, रसायन विषय से बी.एस-सी. प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं द्वितीय वर्ष में NEP 2020 के अंतर्गत प्रवेश लेना चाहता है तो प्राप्तांकों की गणना निम्नानुसार होगी एवं उसे निम्नानुसार अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करने होंगे ।

क्र.	विषय		क्रेडिट की गणना		अंकों की गणना
			प्रश्न पत्रों की कुल संख्या	क्रेडिट मान	
1	मेजर	गणित	प्रथम एवं द्वितीय	12	प्राप्तांकों की आनुपाति गणना 100 अंकों के समतुल्य मानकर की जाएगी
2	माइनर	भौतिक	प्रथम, द्वितीय एवं प्रायोगिक	06	
3	वैकल्पिक	रसायन	प्रथम, द्वितीय एवं प्रायोगिक	06	
4	आधार पाठ्यक्रम		प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय	08	
			योग	32	

NEP 2020 में प्रथम वर्ष की कक्षा में कुल 40 क्रेडिट मान अर्जित करने होते हैं लेकिन उपरोक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थी के द्वारा 32 क्रेडिट अर्जित किए गए हैं । अतः 08 क्रेडिट निम्नानुसार अर्जित करना होंगे ।

(1) व्यावसायिक पाठ्यक्रम एक प्रश्न पत्र — क्रेडिट 04

(2) फील्ड प्रोजेक्ट/परियोजना कार्य / इंटर्नशिप/एप्रेन्टिसशिप एवं कम्यूनिटी एंगेजमेंट — क्रेडिट 04

कुल योग — क्रेडिट 08

द्वितीय वर्ष की कक्षा में NEP 2020 पाठ्यक्रम के साथ प्रथम वर्ष के 08 क्रेडिट अनिवार्य रूप से अर्जित करने होंगे।

अथवा

स्वाध्यायी विद्यार्थी के रुप में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा पुरानी पद्धति से आयोजित की जाए।

नोट : (A) पुरानी पद्धति से स्नातक प्रथम वर्ष उत्तीर्ण विद्यार्थी की अंकसूची को उपरोक्तानुसार ग्रेड शीट में परिवर्तित किया जाए। इस ग्रेड शीट के आधार पर ही द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की ग्रेड शीट में Annual Grade Point Average (AGPA) की प्रविष्ट की जायेगी।

(B) यदि विद्यार्थी ने द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश त्रिया है तो द्वितीय वर्ष का परीक्षा फार्म एवं प्रथम वर्ष की 08 ग्रेडिट अर्जित करने हेतु प्रथम वर्ष का परीक्षा फार्म भरना होगा।

बिन्दु क्रमांक 2 - एनईपी प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के संबंध में दिशा-निर्देश :-

एनईपी प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के विषय पर निर्णय लिया गया कि ऐसे छात्र जो NEP पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण हो जाते है वे चालू सत्र में पुत्ररू नियमित विद्यार्थियों के रूप में उसी कक्षा एवं विषयों की परीक्षा में बैठेगें, किन्तु ऐसे सभी छात्रों को नियमित परीक्षार्थी के रूप में निर्धारित अवधि में अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर उत्तीर्ण करना होगा अन्यथा की स्थिति में उन्हें स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देनी होगी। ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।

बिन्दु क्रमांक 3. पूरक परीक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश :-

मेजर विषय में दो प्रश्नपत्र होते हैं लेकिन यदि एंक प्रश्नपत्र में विद्यार्थी अनुतीर्ण है तो पूरक परीक्षा एक प्रश्नपत्र की ही देना होगी। आधार पाठ्यक्रम में भी यही नियम लागू होगा। आधार पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्नपत्र (हिंदी+अंग्रेजी)या द्वितीय प्रश्न पत्र (योगा+पर्यावरण) जिस प्रश्नपत्र में पूरक है उसी प्रश्नपत्र की परीक्षा देना होगी।

आधार पाठयक्रम में प्रथम प्रश्नपत्र (हिंदी+अंग्रेजी)या द्वितीय प्रश्नंपत्र (योगा+पर्यावरण) एक प्रश्नपत्र के दोनों भाग के अंक मिलाकर 35% प्राप्तांक होने पर उस प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।लेकिन पूरक आने पर पूरा प्रश्नपत्र (दोनों भाग) की परीक्षा देना होगी।

म. प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग पत्र क्रमांक- 227/22 / सी.सी./2023/38, भोपाल, दिनांक28/03/2023 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा मोड दोनों को शामिल करते हुए सीखने के कई रास्ते उपलब्ध कराने के अनुक्रम में **विद्यार्थियों को एक साथ दो अकादमिक कार्यक्रम में अध्ययन करने की सुविधा** हेतु निम्नानुसार प्रावधानित किया गया है :-

(1) एक छात्र फिजिकल मोड में दो पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे मामलों में, एक कार्यकम में कक्षा के समय दूसरी कक्षा के समय के साथ ओवरलैप नहीं करती हो।

(2) एक छात्र दो शैक्षणिक कार्यकमों में भाग ले सकता है, एक पूर्णकालिक फिजिकल मोड में दूसरा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ODL/ऑनलाइन मोड में या एक साथ अधिकतम दो ODL/ ऑनलाइन कार्यकम) ।

(3) ODL/ऑनलाइन मोड के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यकम केवल ऐसी उच्च शैक्षणिक संस्थान (HEIS) से किए जा सकेंगे जो यू जी.सी. / सांविधिक परिषद / भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हों ।

(4) इन दिशा निर्देशों के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यकम यूजी.सी. और संबंधित सांविधिक / पेशेवर परिषदों द्वारा अधिसूचित विनियमों द्वारा शासित होंगे ।

(5) यह दिशा निर्देश यू.जी.सी. द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख 43 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगे। इन दिशा निर्देशों की अधिसूचना जारी दिनांक से पहले किसी भी माध्यम से (पूर्णकालिक /ODL/ ऑनलाईन) एक साथ दो अकादमिक कार्यकम कर चुके विद्यार्थी पूर्वव्यापी लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(6) उपरोक्त दिशा निर्देश पी-एच.डी. के अलावा अन्य अकादमिक कार्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों पर लागू होगी ।

(7) यू.जी.सी. द्वारा जारी उपरोक्त दिशा निर्देशों के आधार पर विश्वविद्यालय अपने यू.टी.डी. के विद्यार्थियों को एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रावधान अपने वैधानिक निकायों के माध्यम से मैकेनिज्म तैयार कर सकेंगे ।

अतः विद्यार्थियों को एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम में अध्ययन करने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे ।

आधार पाठ्यक्रम

- आधार पाठ्यक्रम का अध्यापन स्नातक स्तर पर तीनों वर्ष में संचालित होगा।
- आधार पाठ्यक्रम में 2 प्रश्नपत्र 4-4 क्रेडिट के होंगे।
- इस तरह विद्यार्थी दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर कुलचार योग्यता संवर्धन विषयों का अध्ययन प्रति वर्ष करेंगे।
- इन प्रश्न पत्रों के समूह में विद्यार्थी एक प्रश्न पत्र में हिंदी एवं अंग्रेजी विषय के अतिरिक्त दूसरे प्रश्न में
- प्रत्येक वर्ष 02 पृथक-पृथक विषय का अध्ययन करेंगे।
- आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ पद्धति पर आधारित होंगे।इसमें प्रत्येक वर्ष 100-100 अंक के दो प्रश्न-पत्र होंगे। आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा।

आधार पाठयक्रम

वर्ष	प्रश्न पत्र	विषय	अंक	क्रेडिट
प्रथम	प्रथम	हिन्दी	50	2+2=4
		अंग्रेजी	50	
	द्वितीय	पर्यावरण अध्ययन (Environment Studies)	50	2+2=4
		योग एवं ध्यान (Yog & Meditation)	50	
द्वितीय	प्रथम	हिन्दी	50	2+2=4
		अंग्रेजी	50	
	द्वितीय	स्टार्टअप्स एवं उद्यमिता (Startups & Enterpreneurship)	50	2+2=4
		महिला सशक्तिकरण	50	
तृतीय	प्रथम	हिन्दी	50	2+2=4
		अंग्रेजी	50	
	द्वितीय	डिजिटल जागरूकता (Digital Awareness)	50	2+2=4
		व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण (Personality Development and Character Building)	50	

वैकल्पिक विषय की अध्यापन व्यवस्था एवं अध्ययन सामग्री

क्रमांक	महाविद्यालय	वैकल्पिक विषय
1	कला संकाय वाले महाविद्यालय	वाणिज्य के वैकल्पिक विषय स्नानीय स्त्रोत के माध्यम से
2	वाणिज्य संकाय वाले महाविद्यालय	कला संकाय के वैकल्पिक विषय महाविद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों के माध्यम से अध्यापन
3	बहुसंकाय एवं विज्ञान संकाय	समस्त संकाय के वैकल्पिक विषय (संभाग स्तर में स्थित होने के कारण)

- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के लोकप्रिय वैकल्पिक विषय (इलेक्टिव) के पाठ्यक्रमों के E-Copntent के रूप में विकसित कर विभागीय Website पर अपलोड किया जाएगा।

मूल्यांकन पद्धति

मूल्यांकन पद्धति (सभी मुख्य विषय)

- आन्तरिक मूल्यांकन (कुल 30 अंक) : सतत् मूल्यांकन (CCE) : 10+10+10 = 30 अंक
- मुख्य लिखित परीक्षा (70 अंक) : प्रति प्रश्न पत्र : 70 अंक

कुल 100 अंक

नोट – प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिये NEP के अनुसार सत्र में 4CCE लिये जायेंगे । जिनमें से Best 3 के अंक जोड़े जायेंगे ।

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

बल्लभ भवन, मंत्रालय – 462004

– आदेश –

भोपाल, दिनांक 17/05/2023

क्रमांक 327/46/सीसी/2023 अड़तीस : राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र 2023-24 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत, अकादमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी जारी किये जाते हैं ।

संलग्न - प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत ।

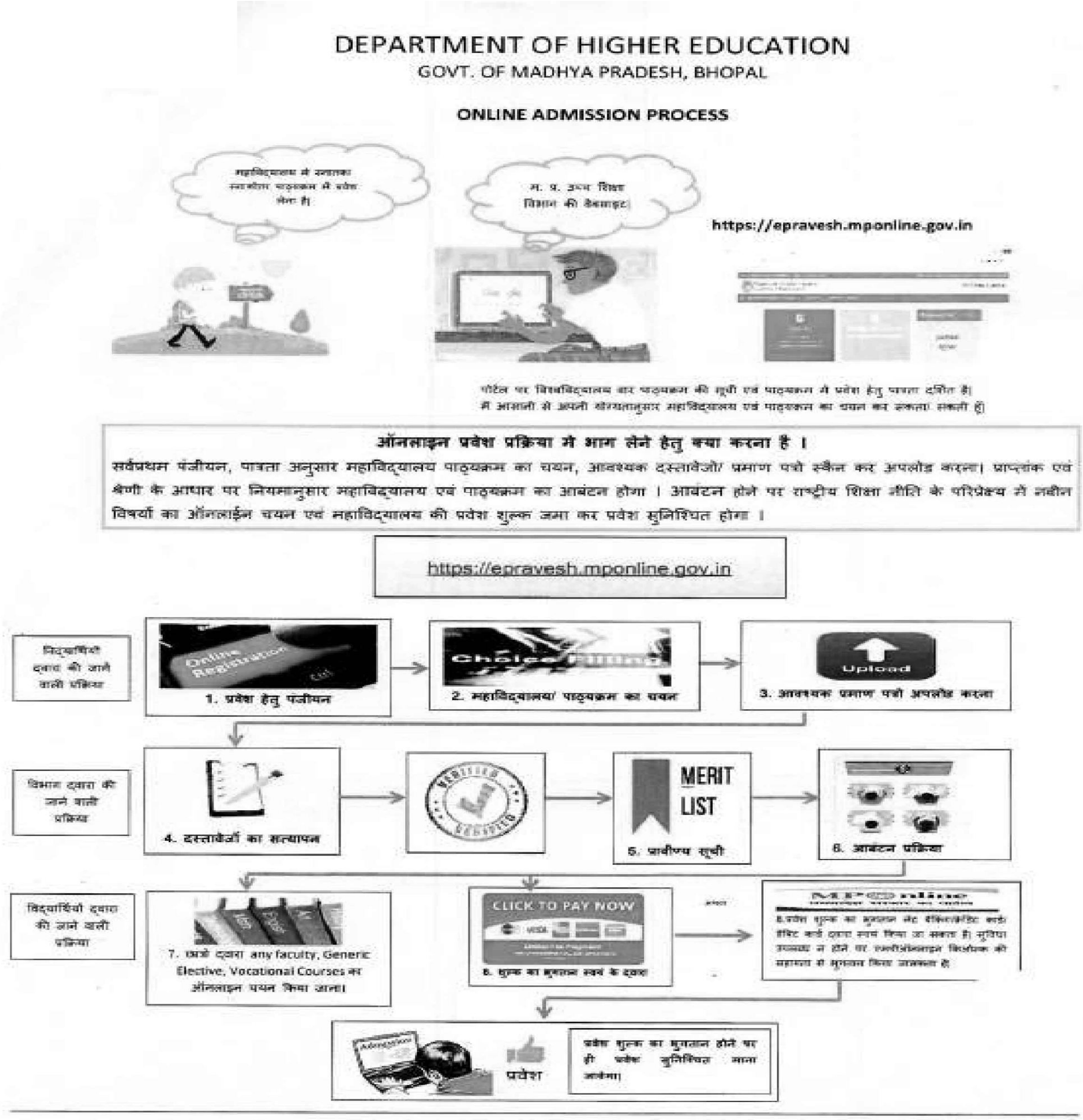

मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त
(सत्र 2023-2024)

1. प्रयुक्तिः-

मार्गदर्शक सिद्धान्त मध्यप्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अप्राप्त) महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक-6 एवं 7 के प्रावधानों के तहत सहपदित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश/नियम/विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हों, उदाहरणार्थ बी.सी,आई, वहाँ ये नियम विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालयो के सुसंगत पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होंगे ।

1.1 समस्त महाविद्यालयों मैं प्रवेश उपरात गरिमामयी प्रवेश उत्त्व आयोजित किये जाएंगे, जिसमें प्रथम वर्ष के प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शी व्याख्यान दिये जाने की व्यवस्था की जाये।

2. पोर्टल की जानकारी :-

पंजीयन हेतु प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल (https:///epravesh.mponline.gov.in) पर उपलब्ध रहेगी ।

3. आयु संबंधी प्रावधान :-

वर्ष 2017-18 प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धान्त के बिन्दु क्रमांक 9.3 क, ख, ग, घ ड. च के तहत आयु संबंधी प्रावधानों को विलोपित किया गया है तथा उसके स्थान पर वर्ष 2018-19 से स्नातक एपं स्नातकोत्तर में प्रवेश हित आयु सीमा हटाई गई है अर्थात सभी विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।

4. स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश हेतु पात्रता :-

4.1 स्नातक स्तर हेतु :-

10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रतानिम्नानुसार होगी :-

सं.क्र.	10+2 अर्हकारी परीक्षा	स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु पात्र
1	विज्ञान	विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय/वाणिज्य संकाय/कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए. (गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनवार्य)
2	वाणिज्य	वाणिज्य संकाय/कला संकाय/ गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए. (गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनवार्य)
3	कला	कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए. (गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनवार्य)
4	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान संकाय/कला संकाय
5	कृषि	कला संकाय/बीएससी (जीवन विज्ञान समूह) (जीवन विज्ञान समूह के एलाइड विषयों जैसे - माइक्रोवायोलॉजी, वायोटेक्नॉलाजी, सीड टेक्नोलाजी आदि विषय) टीप :- म. प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के सत्र क्रमांक 394/73/सी.सी./2017 दिनांक 03/05/2018 के अनुसार)
6	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	कला संकाय/वाणिज्य संकाय/ विज्ञान संकाय/ गृह विज्ञान संकाय अंकसूची में दर्शित विषयों के अनुसार इस हेतु (बिन्दु क्र. 4.1.6 का अवलोकन करें)

4.1.1 पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी स्पष्टीकरण :-

10+2 का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वार आयोजित या अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड या 12वीं बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है।

स्पष्टीकरण- मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक जिन्होंने मध्यप्रदेश राज्य से सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई/एम.पी.बोर्ड, से मुक्त बोर्ड (Open Board)/एम.पी.बोर्ड/पोर्टल पर प्रदर्शित मान्य बोर्ड से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण

की हो, ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य राज्यों से बारहवीं उत्तीर्ण (10+2) विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

4.1.2 आई.टी.आई उत्तीर्ण आवेदक 12वीं (10+2) समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

4.1.3. मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र, 667/175/सीसी 18/38, दिनांक 10.07.2018 द्वारा बी.सी.ए. में प्रवेश हेतु 10+2 परीक्षा किसी भी संकाय (कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं जीवविज्ञान) में उत्त्तीर्ण विद्यार्थी गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे। (10+2 परीक्षा की अंकसूची में गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के रूप में दर्ज हो।)

4.1.4 मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पूर्व के हायर सेकेण्ड्री (ग्यारहवीं) उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होंगी ।

4.1.5. यूजी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।

4.1.6 व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण आवेदक - माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लीनिकल बॉयोकेमेस्ट्री, माइक्रोबॉयोलाजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा-प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिप्रिंस, डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिल्लित है। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवश दिया जा सकेगा। ऑनलाइन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदन की पावती अपलोड करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र को अंतिम माना जावेगा। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता का परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आयंदन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है ।

4.2. स्नातकोत्तर स्तर हेतु :-

स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एम. ए./एम. कॉम./एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय हारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी ।

स.क्र.	कक्षा	अर्हकारी परीक्षा
1	एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर	बी.कॉम./बी.कॉम ऑनर्स
2	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर	बी. एस.सी. संबंधित विषय के साथ
3	एम.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी. (गृहविज्ञान)
4	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण
5	एम.एस.डब्ल्यू.	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण (पात्रता छेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत आवश्यक)

4.2.1 पता प्रमाण पत्र संबंधी स्पष्टीकरण :- मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मध्यप्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्यविद्यालय से पात्रता प्रमाण पन्न प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

4.2.2 पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।

5. प्रवेश एवं अपग्रैडेशन प्रक्रिया :-

प्रवेश प्रक्रिया :-

प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के

स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2023-24 हेतु केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था होगी। सत्र 2023-24 में एक चरण एवं तीन सी.एल.सी. चरण संचालित किए जाएंगे। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु विभाग द्वारा पृथक से जारी समय सारणी अनुसार निर्धारित समयांवधि में, अनिवार्यत्तः कराना होगा ।

अपग्रेडेशन प्रक्रिया :-

- प्रथम चरण एवं सी.एल.सी. में आवेदक आवंटित महाविद्यालय के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करने के साथ ही चाहें तो च्वाईस फिलिंग अनुसार अपग्रैडेशन के लिए ऑनलाइन सहमत्ति व्यक्त कर सकेंगे।
- सी. एल. सी. के प्रत्येक चरण में अपग्रेडेशन की प्रकिया ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा के आधार पर महाविद्यालय स्तर से संचालित की जावेगी।
- प्रथम चरण के समाप्त होते ही जिन आवेदकों ने आबंटन पश्चात भी शुल्क भुगतान नहीं किया है, ऐसी स्थिति में रिक्त स्थान पर अपग्रेडेशन का विकल्प देने वाले आवेदक को मेरिट अनुसार अपग्रेड किया जा सकेगा। विद्यार्थी को अपग्रेड होने की सूचना एस.एम.एस. द्वारा प्रदान की जावेगी। आवेदक के अपग्रेड होते ही पूर्व में आवंटित महाविद्यालय से प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। आवेदक के आपग्रेड होने के फलस्वरूप रिक्त स्थान पर गुणानुक्रम के आधार पर अगले पात्र आवेदक को स्वतः ही स्थान आवंटित हो सकेगा। आवेदक को आवंटन पश्चात 03 दिवस शुल्क भुगतान करने का अवसर होगा।
- संबंधित महाविद्यालय द्वारा नवीन आवंटित महाविद्यालय को ऑनलाइन प्रवेश शुल्क अंतरित किया जायेगा।
- जिन आयेदकों को प्रथम चरण में आवंटन नहीं मिला है वे अपग्रेडेशन मैं स्वतः हीं शामिल होंगे।

5.1 पंजीयन, पंजीयन शुल्क भुगतान एंवं नामांकन प्रक्रिया :-

5.1.1 ऑनलाइन पंजीयन की कार्यवाही के अन्तर्गत स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदक को विश्वविद्यालय द्वारा घोषित विधय-समूह (गणित/जीव विज्ञान/वाणिज्य/कला/गृह-विज्ञान इत्यादि) का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें आवेदक प्रवेश चाहता है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन की कार्यवाही के साथ विषय चयन एवं महाविद्यालयों का चयन करना होगा।

5.1.2 स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों को ऑनलाइन पंजीयन के समय ही ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भी भरना होगा। प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त के भुगतान उपरान्त आवेदक के नामांकन एवं यूनिक आई.डी की कार्यवाही स्वत्तरू पूर्ण हो जायेगी। प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का पंजीयन क्रमांक हीं यूनिक आई.डी के रूप में प्रयुक्त होगा। पंजीयन क्रमांक के पश्चात् नियमित विद्यार्थी के लिए "/आर" (/R) और स्वाध्यायी विद्यार्थी के लिए ''पी'' (/P) का प्रयोग किया जाएगा। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन कमांक के साथ विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम जैसे - ''/बीयू'' (/BU) अंकित्त किया जाएगा । विश्वविद्यालय परिवर्तन होने पर विद्यार्थी को आवंटितं नामांकन क्रमांक एवं यूनिक आई.डी यथावत संबंधित विश्वविद्यालय में स्थानांतरित ही जाएगा और उसके साथ ही संबंधित विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम अंकित कर दिया जाएगा जैसे - "/बीयू/डी.ए.विवि'' (/BU/DAVV) अंकित किया जाएगा।

8.1.3 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी समय-सारणी अनुसार आवेदक ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक अपना पंजीयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं या कियोस्क द्वारा कर सकेंगे।

5.1.4. पंजीयन के पश्चात् आवेदक आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त कर समस्त प्रविष्टियों जैसै - नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि (10वीं/12वीं की अंकसूची के अनुसार), श्रेणी, वर्ग, प्राप्तांक, मोबाईल नम्बर एवं अधिभार प्रमाण पत्र की जानकारी इत्यादि की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें एवं सुनिश्चित करें कि दर्ज जानकारी एवं स्पेलिंग पूर्णतः सही है। दर्ज प्रविष्टियों की समस्त जिम्मेदार आवेदक की ही होगी।

5.1.5 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातक अंतिम सैमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवैश हेतु वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ

सेमेस्टर तक के कूल अंकों के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। प्रथम चरण तथा सी.एल.सी. चरण में स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातक अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम अथवा वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के कुल प्राप्तांकों के आधार पर प्रावीण्यता निर्धारित की जाएगी।

5.1.6 प्रवेश प्रक्रिया के मध्य परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में आवेदकों को स्वयं/अभिभावक को उपस्थित होकर हेल्पसेन्टर के माध्यम से पोर्टल पर अद्यतन परीक्षा परिणाग अंकित कराना एवं सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।

5.1.7. पंजीयन शुल्क का भुगतान समय-सारणी अनुसार, चरणवार निम्नानुसार देय होगा :-

सं.क्र.	चरण	शुल्क	विशेष
1	प्रथम चरण में पंजीयन	100/-	समस्त छात्राओं को निःशुल्क
2	सी.एल.सी. चरण में पंजीयन	500/-	विलंब शुल्क सहित ।
3	पोर्टल शुल्क	50/-	स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के लिए

आवेदकों द्वारा पंजीयन शुल्क का उम ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से ही किया जा सकेगा, तत्पश्चात् ही ऑनलाइन ई-सत्यापन होगा ।

5.1.8. स्नातकोत्तर के स्थान पर त्रुटिवश स्नातक में पंजीयन होने पर प्रावधान :-
यदि आवेदक द्वारा स्नातकोत्तर के स्थान पर त्रुटिवश स्नातक में पंजीयन हो जाता है तो आवेदक ऐसा पंजीयन निकटतम हेल्प सेन्टर से निरस्त करवा सकेगा। निरस्तीकरण पश्चात एमपी, ऑनलाइन द्वारा पोर्टल शुल्क की राशि जिस माध्यम से प्राप्त हुई है। उसी माध्यम से वापस की जाएगी।

5.1.9 . त्रुटिपूर्ण अनुक्रमांक से पंजीयन होने पर प्रावधान :-
ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पंजीयन कराते समय अनुकमांक दर्ज करने पर पूर्व में पंजीकृत (Already Registered) का संदेश पोर्टल पर प्रदर्शित हो तो ऐसे आवेदक निकटस्थ हेल्प सेन्टर पर अंकसूची एवं मूल दस्तावेज सहित उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करा सकेंगे । हेल्प सेन्टर उपलब्ध कराए गए टैब में अनुक्रमांक दर्ज कर आवेदक की वस्तुस्थिति पता कर सकेंगे। इस के उपरांत पूर्ष सै पंजीकृत आवेदक को दूरमाष के माध्यम से सूचित कर उसका पंजीयन निरस्त किया जा सकेगा। तत्पश्चात दोनों आवेदक प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। पंजीयन निरस्त होने पर एम.पी. ऑनलाइन द्वारा पंजीयन शुल्क की राशि जिस माध्यम से प्राप्त हुई है उसी माध्यम से वापस की जावेगी।

5.2. **पंजीयन हेतु पूरक प्राप्त विद्यार्थियों संबंधी निर्देश :-**
कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिए पंजीयन करना अनिवार्य है। ऐसे आवेदक प्रथम चरण में पंजीयन कर सकेंगे परन्तु आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपलोड करने एवं महाविद्यालय/पाठयक्रम चयन की प्रक्रिया सी.एल.सी चरण की निर्धारित समय सीमा में ही कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया संचालन के मध्य पूरक परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्हें आगामी चरण/सी.एल.सी. में अपने ऑनलाइन आवेदन को अद्यतन करने के साथ ही महाविद्यालय/पाठ्यक्रम की च्वाईस फिलिंग एवं दस्तावेज/प्रमाण पत्र को स्कैन कर अनिवार्यतः ऑनलाइन अपलोड करना होगा ।

5.2.1 प्रवेश प्रक्रिया के सी.एल,सी. घरण तक आवेदकों के पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित न होने की स्थिति में इन विद्यार्थियों को स्थान एकल रहने पर हीं प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा ।

5.3. **महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन प्रक्रिया**
सत्र 2023-24 की ऑनलाइन ई-प्रवैश प्रक्रिया में पंजीयन के समय आवेदक न्यूनतम 1 एवं अधिकतम 15 महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों का चयन करते हुए विकल्प चयन (च्वाईस फिलिंग) कर सकेंगे। आवेदक को सामान्य एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश हेतु पृथक-पृथक पंजीयन कराना होगा।

5.4. **पंजीयन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया :-**
ई-सत्यापित आवेदकों को कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं करना होगा केवल अधिमार के इच्छुक आवेदकों को

संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जिन आवेदकों का ई-सत्यापन नहीं हुआ है ऐसे आवेदकों को पंजीयन के समय ई-सत्यापन हेतु निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा (स्पष्ट एवं पठनीय) -

(अ) अंक सूची-न्यूनतम आर्हकारी परीक्षा स्नातक प्रथम वर्ष हेतु बारहवीं, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु स्नातक अंतिम वर्ष/षष्ठम सेमेस्टर
(मार्गदर्शिका की कण्डिका 5.4.1 का अवलोकन करें)

(ब) जाति प्रमाण पत्र-(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग), यदि लागू हो तो
(मार्गदर्शिका की कण्डिका 5.4.2 का अवलोकन करें)

(स) संवर्ग प्रमाण पत्र - (दिव्यांग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संबंधी/उच्च शिक्षा विमाग के अधिकारियों कर्मचारियों के पाल्य आदि) यदि लागू हो तो
(मार्गदर्शिका की कण्डिका 5.4.3 का अवलोकन करें)

(द) अधिमार संबंधी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो
(मार्गदर्शिकाकी कण्डिका 5.4.4 का अवलोकन करें)
अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में निर्देश एवं स्पष्टीकरण

5.4.1 अंक सूची संबंधी :-

(अ) स्नातक स्तर में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों की मूल अंकसूची के अभाव में पंजीयन को समय आवेदक की इन्टरनेट से डाउनलोड की गई स्वप्रमाणित अंक सूची मान्य होगी।

(ब) स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु स्नातक अंतिम वर्ष/षष्ठम (छठवें) सेमेस्टर का प्ररीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में आवेदक प्रवेश हेतु स्नातक द्वित्तीय वर्ष/पंचम सेमेस्टर की अंकसूची के साथ तृतीय वर्ष/षष्ठम (छठवें) सेमेस्टर की नेट से डाउनलोड की गई अंकसूची को स्वसत्यापित करने के बाद एक साथ दोनों अंकसूची स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे ।

5.4.2 जाति प्रमाण पत्र संबंधी :-

आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 352/243/आउशि/शा-5 अ/2019, भोपाल दिनांक 13.06.2019 के अनुक्रम में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास उनके स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आवेदक के पिता के नाम पर जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र को प्रवेश आवेदन में पंजीयन हेतु मान्य किया गया है ।

(अ) ऑनलाइन पंजीयन के समय आवेदक के स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में पिता के नाम का स्थायी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। उसके पश्चात् ही प्रवेश हेतु जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन एवं लाभ प्राप्त हो सकेगा ।

(ब) आवेदक का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र न होने के स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूर्व के वैध जाति प्रमाण पन्न भी सत्यापन हेतु मान्य किये जावेंगे।

5.4.3 संवर्ग प्रमाण पत्र संबंधी :-

संवर्ग प्रमाण पत्र का लाभ प्राप्त करने हैतु आवैदक मार्गदर्शिका के बिंदु क्र. 26 का आवश्यक रूप से अवलोकन कहें तत्पश्चात् ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करें ।

5.4.4 अधिभार हेतु प्रमाण पत्र संबंधी :-

(अ) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिभार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के विगतचार क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2019-20 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे ।

(ब) स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिमार हेतु स्नातक स्तर में आवेदक के विगत तीन क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2020-2 के पूर्व के मान्य नहीं होगे) तक के प्रमाण पत्र हीं पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे ।

(स) एक से अधिक अधिमार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में दिया जायेगा। आवेदक सर्वाधिक अधिमार बाला प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड करें।

(द) अधिमार का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्गवर्शिका के बिंदु क्र. 27 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्पश्चात् ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करें।

5.4.5 मूल निवासी संबंधी :-

(अ) मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी आवेदक जिन्होंने कक्ष 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा मध्यप्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की हैं, उन्हें पंजीयन के समय मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने कौ आवश्यकता नहीं होंगी ।

(ब) मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं अन्य प्रदेश में अध्ययन कर उत्तीर्ण की हैं किन्तु वे मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें पंजीयन के समय मध्यप्रदेश के मूलनिवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्यतः अपलोड करना होगा, अन्यथा उन्हें मध्यप्रदेश के मूल निवास का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(स) ऐसे आवेदक जिन्होंने कक्षा 10 वी एवं 12 वीं की परीक्षा मध्यप्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की है किन्तु आवेदक अन्य राज्य का निवासी है। उन्हें प्रंजीयन के सनय नध्यप्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र न होने अथवा प्रक्रियाधीन होने की स्थिति में उन्हें मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होने संबंधी निर्धारित प्रपत्र में स्वप्रमाणित्त घोषणा पत्र अपलोड करना होगा अन्यथा उन्हें मध्यप्रदेश के मूल निवात्ती का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5.5 पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों की ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया :-

(अ) पंजीकृत आवेवकों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु महाविद्यालय में जाने को आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शासकीय महाविद्यालयों (हेल्पसेन्टर) के माध्यम से ऑनलाइन संपन्न की जावेगी।

(ब) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में सत्यापन की प्रक्रिया हेतु स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों के ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म का अपलौड किए गए दस्तावेजों के आधार पर शासकीय महाविद्यालयों (हिल्पसेन्टर) द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जावेगा।

(स) आवेदक पंजीयन के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों/अधिमार हेतु दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करेंगे। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि अपलोड प्रमाण पत्र/दस्तावेज पूर्णतः स्पष्ट एवं पठनीय हों।

5.5.1 ऑनलाइन सत्यापन संबंधी निर्देश :-

(अ) सत्यापन अधिकारी ऑनलाइन सत्यापन संबंधी कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा से एक दिवस पूर्व तक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

(ब) आवेदक का फार्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जावेगी।

(स) आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फार्म के ऑनलाइन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगें।

5.5.2 असत्यापित/त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी युक्तआवेदन संबंधी निर्देश :-

(अ) यदि किसी आवेदक के पंजीयन आवेदन फार्म में त्रुटि है या अपलोड किए गए आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अस्पष्ट /अपर्याप्त/अपूर्ण पायें जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदन फार्म का ऑनलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकेगा ।

(ब) संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी ऐसे आवेदन पत्रों को त्रुटिपूर्ण/असत्यापित आवेदन फार्म की सूची में रखेंगे। ऐसे त्रुटिपूर्ण प्रकरणों की जानकारी का संधारण किया जायेगा। ऐसे आवेदक जिनके दस्तावेजों में अस्पष्टता या त्रुटि पाई जाती है, इस आशय की सूचना आवेदक के पंजीकृत मौबाईल पर प्रेषित करने का दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। सत्यापनकर्ता अधिकारी आवेदक के आवेदन फार्म को 'असत्यापित या त्रुटिपूर्ण' वर्ग में क्लिक करेंगे। इसकी सूचना आवेदक को पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एम.पी. ऑनलाइन द्वारा संदेश के माध्यम से भी भी दी जाएगी । आवेदक पंजीकृत मोबाईल नंबर पर संदेश (एस एम.एस) चेक करते रहें।

(स) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार आवेदक स्वयं/अभिभावक को मूल दस्तावेजों के साथ किसी भी निकटतम शास्तकीय महाविद्यालय (Help Center) में उपस्थित होकर त्रुटि सुधार कर पुनः सत्यापन

करवाना अनिवार्य होंगा। अन्यथा के स्थिति में आयेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। शासकीय महाविद्यालय (Help Center) ऐसे आवेदकों के पंजीयन आवेदन में त्रुटि सुधार कर उनके सही दस्तावेज अपलोड कर, पुनः विकल्प चयन करवाकर, पुनः सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करेंगें । इसके पश्चात् ऑनलाइन सत्यापन पर्ची (ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्लिप) आवेदक को दी जावेगी।

(द) आवेदक का फार्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजी.त मोबाईल नंबर पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जावेंगी। आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फार्म के ऑनलाइन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

(य) सत्यापन के समय अपूर्ण जानकारी युक्त/अनावश्यक दोहराव/एक जैसे पंजीयन आवेदन आने पर सत्यापकर्ता अधिकारी उसे ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए गार्वेज टैब पर प्रेषित करेंगें। जिससे महाविद्यालय के पोर्टल पर अनावश्यक लंबित आवेदन न हों।

(र) सत्यापन के पश्चात् परंतु ऑनलाइन शुल्क जमा करने के पूर्व यदि कोई त्रुटि/विसंगति संज्ञान में आती है तब मूल दस्तावेजों से परीक्षण कर शासकीय महाविद्यालयों के सहायता केन्द्रों (Help Center) के माध्यम से त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार उपरांत आवेदक पुनः विकल्प चयन कर पुनः सत्यापन की प्रक्रिया अनिवार्यतः पूर्ण करेंगे।

(ल) निर्धारित तिथियों में पंजीकृत एवं सत्यापित आवदेकों को ही गुणानुक्रम अनुसार महाविद्यालयों में प्रवेश आवंटन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

5.6 प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम एवं प्राथमिकता का निर्धारण :-

(अ) गुणानुक्रम का निर्धारण -

स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक एवं अधिभार यदि कोई देय है तो अधिभार को जौड़कर समग्र अंकों के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण क्रिया जाएगा। सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये पृथक-पृथक गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी ।

(ब) स्नातकोत्तर कक्षा में प्राथमिकता का निर्धारण -

किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय कीं स्नातकोत्तर कक्षा में स्थान रिक्त रहने की दशा में ही पात्रतानुसार सी.एल.सी. चरण में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे आवेदक प्रथम चरण में पंजीयन कर सकेंगे परन्तु आवश्यक दवस्तावेज/प्रमाण पत्र अपलोड करने एवं महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया सी. एल.सी. चरण की निर्धारित समय सीमा में ही कर सकेंगे।

5.6.1 प्रथम चरण में प्रवेश हेतु सीट आवंटन प्रक्रिया -

(अ) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामित्र समस्त महाविद्यालयों को प्रथम चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आईडी पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक द्वारा संबंधित महाविद्यालय के ऑनलाइन शुल्क भुगतान पश्चात् प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची सभी महाविद्यालय अपनी लॉगिन आईडी पर देंख सकेंगे। शुल्क भुगतान उपरांत आवेदक द्वारा प्रवेश निरस्त कराने पर ऐसे विद्यार्थियों की सूची भी पोर्टल घर दर्शित होगी।

(ब) प्रथम चरण में सभी ई-सत्यापित आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय/विषय एवं महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश आवंटन, ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी अनुसार पोर्टल पर जारी किये जायेंगे।

(स) इसकी सूचना आवेदकों को उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज मोबाईल नम्बर पर संदेश के द्वारा दी जावेगी साथ ही. आवेदक अपना प्रवेश आवंटन आवश्यक रूप से प्रवेश पोर्टल पर स्वयं भी लॉगिन पासवर्ड से चौक कर आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे ।

(द) आवंटन प्राप्त होने के उपरांत प्रवेश के लिए आवेदकों को आवंटित महाविद्यालय में जाने/प्रवेश शुल्क भुगतान हेतु लिंक इनीशिएट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक आवटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु ऑनलाइन विषय चयन के उपरांत प्रवेश शुल्क (संबंधित विश्वविद्यालय के नामांकन शुल्क) का भुगतान ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल विकल्पों का उपयोग करते हुए समय-सारणी अनुसार निर्धारित तिथि तक कर सकेंगे।

(ग) प्रवेश पोर्टल धन शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में

दर्शित होगा। उक्त प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय के खाते में पूर्वानुसार ऑनलाइन ही ट्रांसफर होगा ।

5.7 महाविद्यालय/संकाय आवंटन पश्चात प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्ष आवेदकों द्वारा ऑनलाइन विषय चयन किये जाने संबंधी निर्देश :-

5.7.1 आवेदकों को महाविद्यालय आवंटित होने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्नातक प्रथम वर्ष के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार सर्व प्रथम ऑनलाइन विषय चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व पात्रतानुसार तीन मुख्य विषय पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। आवेदक आवंटित तीन मुख्य विषय में से चयनित कर सकते हैं। आवेदक अभिरूचि अनुसार तीन मुख्य विषय में से किसी एक के स्थान घर अन्य संकाय से तीसरे मुख्य विषय का चयन भी कर सकता है। आवेदक को किसी भी संकाय से एक जैनरिक विषय एवं एक व्यावसायिक विषय का चयन करना होगा। इसके साथ ही आवेदक को अनिवार्यतः प्रोजेक्ट आदि के अंतर्गत ड्रॉप-डाउन मैन्यू में दर्शाए गए विकल्प में से किसी एक का चयन करना होगा।

5.7.2 आवेदक द्वारा विषय चयन करने के उपरांत ऑनलाइन प्रवेश/नामांकन शुल्क के लिए लिंक स्वतः इनिशिएट हो जावेगी। आवेदक ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर प्रवेश सुनिश्चित कर सकेंगे ।

5.8. ऑनलाइन प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) भुगतान प्रक्रिया -

(अ) आवेदक द्वारा पंजीयन करते समय छात्रवृत्ति का लाभ लेने हेतु पूर्व (माध्यमिक स्तर पर) में प्रदान की गई स्कॉलरशिप आई.डी. दर्ज करना होगा।

(ब) ऐसी बालिकाएं जिन्होंने स्कूल स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ लिया हैं। प्रवेश शुल्क मुंगताने के पूर्व लाड़ली लक्ष्मी योजना का चयन कर ज्ञाभ प्राप्त कर सकेगी ।

(स) सत्र 2023-24 में जनभागीदारी द्वारा संचालित स्ववित्तीय पाद्यकम में प्रवेश लेने वाले आवेदक यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें शुल्क जमा करते समय ही पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना/मुख्यमंत्री क्रोविंड-19 बाल कल्याण योजना का चयन कर शुल्क भुगतान करना होगा।

(द) आवेदक को ऑनलाइन विषय चयन करने के उपरांत प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त की शशि रूपये 1,000 /- या रूपए 10/- संबंधित विश्वविद्यालय का नामांकन शुल्क सहित ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके साथ ही आवेदक को नामांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपनी सहमति दर्ज करनी होगी। जिससे आवेदकों को पृथक से नामांकन के लिए आवेदन नहीं करना होगा। शुल्क जमा करने के पूर्व ही आवेदक को पात्रतानुसार लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना/मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का चयन भी करना होगा। प्रदेश शुल्क की शेष राशि तीन किश्तों में संबंधित महाविद्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि में डिजिटल माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना एवं कोबिड-19 बाल कल्याण योजना तथा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के आवेदकों के लिए प्रक्रिया कण्डिका 11.1, 11.2, 11.3 एवं 11.4 के अनुसार होगी।

(य) चयनित विषय के आधार पर प्रवेश शुल्क का भुगतान आवेदक नेट बैंकिंग/क्रैडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/यू.पी,आई. के माध्यम से स्वयं कर सकंगा या उपरोक्त सुविधा उपलब्ध न होने पर कियोस्क के माध्यम से शुल्क भुगतान कर प्रयेश प्राप्त कर सकेगा ।

(र) प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आवेदक को प्रवेश प्राप्त होने की सूचना पंजी.त मोबाईल पर प्राप्त होगी।

5.8.1. शुल्क भुगतान उपरांत ऑनलाइन एडमिशन स्लिप के प्रिंट आउट लेने संबंधी :-

आवेदक द्वारा ऑनलाइन एडमिशन स्लिप का प्रिंट आउट ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के पश्चात प्राप्त किया जा सकेगा, यह प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जिससे आवेदक यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके प्रवेश की प्रविष्टि पोर्टल पर हो चुकी है। एडमिशन स्लिप का बांद में भी पंजीयन क्रमांक एवं आई.डी. पासवर्ड डालकर पोर्टल से प्रिन्ट लिया जा सकता है। आवेदक को प्रवेश रसीद (Admission Slip) का प्रिंट लेने के

तत्काल बाद महाविद्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकत्ता नहीं है ।

5.8.2 प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की दशा में आवश्यक निर्देश :-

आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये पंजीयन, प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन यदि फेल होता है तो इस राशि की वापसी उत्ती बैंक खाते में आयेगी जिस बैंक खाते से आवेदक ने भुगतान किया है। प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा। अतः ट्रांजेक्शन के फंल होने की स्थिति में आवेदक को पुनः पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यधा आवेदक का नाम प्रवेश सूची में दर्शित नहीं होगा।

महत्वपूर्ण -विद्यार्थियों का प्रवेश शुल्क प्रवेशित महाविद्यालय की प्रोफाईल में दर्ज बैंक खाते में स्थानांतरित होगा। अतः सभी महाविद्यालय स्वयं के बैंक खाते क्रमांक को प्रोफाईल अद्यतन करते समय सही-सही दर्ज करना सुनिश्चित्त करेंगे। यह जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित महाविद्यालंध की होगी। महाविद्यालय को बैंक खाते में विंसंगति होने पर विद्यार्थियों की डक उपरू ष्लक की शशि संबंधित महाविद्यालय के बैंक खातें में तब तक वापस जमा नहीं हो पायेगी, जब तक की महाविद्यालय द्वारा बैंक खातें की विसंगति को दूर कर अद्यतन नहीं किया जाता है।

5.8.3 शैक्षणिक सत्र 2023-24 में ऑनलाइन प्रवेशित विद्यार्थियाँ को टीसी, एवं अन्य दस्तावेज को मूल तथा छायाप्रति महाविद्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं होंगी।

6. ऑनलाइन सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालयों के रिक्तस्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया :-

6.1 सी.एल,सी चरण में प्रवेश हेतु महाविद्यालयवार/पाठ्यक्रम/वर्गचार रिक्त स्थानों की जानकारी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

6.2. पंजीकृत आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सी.एल.सी, चरण में महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम की वरीयता दर्ज करनी होगी। महाविद्यालय स्तर पर इस हेतु कोई भी लिखित आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे।

6.3 प्रथम चरण को प्रवेश प्रक्रिया उपरांत ऑनलाइन सी.एल.सी चरण में महाविद्यालयों में मूल सीटों के विरूद्ध शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रदान किया जावेगा।

6.4 सी.एल.सी. अंतिम चरण में समय-सारणी अनुसार रिक्त आरक्षित सीटों पर प्रवेश नियम कंडिका 26.1 से 26.9 का पालन सुनिश्चित करते हुये संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें कंडिका 26.12 के प्रावधानों के निहित समय-सारणी अनुसार सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु परिवर्तित की जायेंगी।

6.5 ऑनलाइन सी.एल.सी. प्रक्रिया में समय सारणी अनुसार आवेदक प्रथम चरण के परश्चात् रिक्त रह गये स्थानों पर पूर्व वरीयताओं में संशोधन/परिवर्तन कर सकेंगे।

6.6 प्रथम चरण में प्रवेश लेकर, प्रवेश निरस्त करने वाले आवेदक को ऑनलाइन सी.एल.सी. प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन वरीयता/विकल्प पुनः देना अनिवार्य है।

6.7 पुनः वरीयता हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

6.8. आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है, समय-सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन /ई-सत्यापन पश्चात् सी.एल.सी. चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इस हेतु आवेदक प्रथम चरण की प्रवैज्ञ प्रक्रिया के बिन्दु क्र. 5 में उल्लेखित कण्डिका 5. 1, में 5.9 तक का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, तद्नुसार ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करें ।

6.9 ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल महांविद्यालयों को सी.एलसीं चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आई.डी. पर उपलब्ध रहेगी ।

6.10 सी.एल.सी. चरण में समय सारणी अनुसार प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय स्तर पर प्रावीण्य सूची जारी कर नियमानुसार सम्पन्न की जाएगी।

7. प्रवेश निरस्तीकरण प्रक्रिया -

1. ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2023-24 से प्रवेश निरस्तीकरण की प्रकिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी ।

2. आवेदक को महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश निरस्त कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. आवेदक को प्रवेश निरस्तीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन करता होगा ।

4. आवेदक द्वारा निरस्तीकरण आवेदन सबमिट करने पर उनके द्वारा पूर्व में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. दर्ज करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हों जावेगा। जिसकी पावती आवेदक को ऑनलाइन प्राप्त हो सकेंगी ।

7.1 निरस्तीकरण पश्चात् शुल्क वापसी प्रक्रिया –

शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं अल्पसंख्यक महांविद्यालय द्वारा प्रथम चरण/सी.एल.सी, चरण में प्रवेश प्रकिया के मध्य प्रवेश लेकर ऑनलाइन प्रवेश निरस्त होने पर महाविद्यालय को ऑनलाइन पोर्टल से स्वतः सूचित होगा।

प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निरस्तीकरण कराने पर आवेदक द्वारा जमा की गई प्रवेश शुल्क की सम्पूर्ण राशि उसी खाता कमांक में वापस की जाएगी जिस खात्ता क्मांक से प्रवेश शुल्क का भुगतान किया गया है। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 30 दिवस के अंदर प्रवेश निरस्त कराने पर सम्पूर्ण शुल्क वापस किया जाएगा। इस अवधि के पश्चात प्रवेश निरस्त कराने पर कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

8. **शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर पाल्यों के प्रवेश** – कंडिका 23. (अ) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश घाहने वाले उनके पाल्य को महाविद्यालय में आवेदितत कक्षा में स्थान रिक्त होने पर प्रचलित सत्र के दौरान प्रवैश दिया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने 5, का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक के स्थानांतरण के पश्चात निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने पर कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त कर पाल्य को प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित महाविद्यालय द्वारा दर्ज करनी होगी।

9. पूरक प्राप्त आवेदकों के प्रवेश –

9.1. ऑनलाइन सी.एल.सी. चरण में अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों हेतु रिक्त सीटों पर पात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर ही गुणानुक्रम के आधार पर प्रावधिक प्रवेश हेतु ऑनलाइन सी.एल.सी. चरण में प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 प्रावधिक प्रवेश के लिए अर्हताकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त उन्हीं आवेदकों पर विचार नहीं किया जायेगा जिन्होंने अपना पंजीयन/दस्तावेज अपलोड महाविद्यालय पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन निर्धारित तिथियों में ही करवा लिया हैं।

9.3. पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में गुणानुक्रम के आधार पर अवसर प्राप्त होने की स्थिति में प्रावधिक प्रयेश लेना होगा। स्थान रिक्त होने पर सी.एल.सी. चरण मैं प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा।

नोटः- इस हेतु पूरक परीक्षा परिणाम वाली अंक सूची हीं ऑनलाईन पंजीयन के समय अपलोड करनी होगी ।

9.4 प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों को पुरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने को उपरांत निर्धारित समय सारणी अनुसार उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की जानकारी अद्यतन कराना होगा। जिससे आवेदक का प्रवेश निरंतर/निरस्त किया जा सके। प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी के अनुन्तीर्ण घोषित होने पर आवेदक का प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा 100/- प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि वापस की जाएगी ।

10. म.प्र. शासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु हितग्राही योजनाएं :–

10.1 मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी (MMVY) योजना :-

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 866/342,/सी.सी. /2017 दिनांक 24 जून 2017 के तहत प्रदेश में प्रतिमाशाली आवेदकों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किए जाने के अनुक्रम में सत्र 207-48 से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना संचालित है। इस योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा विभाग ब्वारा जारी नियमों के तहत किया गया है।

10.1.1 पात्रत्ता की शर्ते :-

1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय छः लाख रूपये से कम हो ।
3. विद्यार्थी ने 12वीं परीक्षा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा सी.बी. एस.ई./आई.सी.एस.ई बोर्ड से 85 प्रतिशत या उत्तसे अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो।

10.1.2 योजना का स्वरूप

यह योजना स्नातक स्तर में प्रवेश प्राप्त करने हेतु लागू की गई है। योजना के संबंध में अन्य आवश्यक दिशा निर्देश/पात्रता संबंधी समय-समय पर जारी शासन के निर्देशों का पालन किया जावेगा। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त होने पर छात्र को इस योजनान्तर्गत संस्थाओं को देय शुल्क के कप में प्रवेश शुल्क एंवं वह वास्तविक शुल्क (मैस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार "राज्य शाप्नन ब्लारा निर्धार्ति किया गया है, का ही भुगतान किया जावेगा। (म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का पत्र क्र, एफ 5-6/2017/42 (1) भोपाल दिनांक 05.06.2018

10.1.3 स्पष्टीकरण :- प्रवेश प्राप्त पात्र विद्यार्थियों को केवल मैस शुल्क एवं कॉशन मनी का भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। महाविद्यालय द्वार परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु पिछली परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकत्ता हैं ।

10.2 मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना (MMJKY) :-

मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत म0प्र0 शासन तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14-2,/2008/42-2 दिनांक 21 अगस्त 2018 को तहत प्रवेश दिया जावेगा। इस हेतु समय समय पर जारी आदेशों का पालन भी सुनिश्चित किया जावेगा।

10.2.1 पात्रता की शर्तें :-

1. यह योजना स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर प्रदान की जावेगी ।
2. विद्यार्थी के माता/पिता का म.प्र. शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य हैं।

10.2.2 योजना का स्वरूप

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 525/484/आउशि/शा-5'अ' /2018 भोपाल दिनांक 30 जून 2018 के तहत राज्य शासन के समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, शासकीय महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित स्नातक (प्रथम/द्वित्तीय/तृतीय वर्ष) एवं स्नातकोत्तर (प्रथम/द्वित्तीय वर्ष) के पारम्परिक एवं स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश (लेकिन मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) दिया जायेगा ।

10.2.3 स्पष्टीकरण :- स्नातक/स्नातकोत्तर के पात्र विद्यार्थियों को इस योजनान्तर्गत प्रवेश प्राप्त होने पर केवल मैस शुल्क एवं कॉशन मनी का भुगतान करना होगा त्तथा अन्य शुल्क जैसे प्रयेशशुल्क (नामांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु पिछली परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।

10.2.4 विद्यार्थियों हेतु महत्वपूर्ण :- उपरोक्त दोनों योजनाओं (मेधावी/जनकल्याण) के लाभ प्राप्त करने से पूर्व, विद्यार्थी राज्य शासन द्वारा प्रदान की जानें वाली अन्य हितग्राही योजनाओं का भल्नी भांति अध्ययन करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क भुगतान के समय इन योजनाओं का चयन करें ।

10.3 मुख्यमंत्री कोबिड-19 बाल कल्याण योजना :- मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 1373/2021/50-2, भोपाल, दिनांक 21.05.2021 के अनुसार।

10.3.1 योजना का उद्देश्य (परिशिष्ट 1) -

इस योजना का उद्देश्य बच्चों को आर्थिक एवं खादूय सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह करते हुये अपनी शिक्षा निर्विघ्न रूप से पूरी कर सकें। यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू की गयी हैं।

10.3.2 परिभाषा (परिशिष्ठ 3)–

परिवार से अभिप्राय पति-पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है, (परिशिष्ट 3.1)

बाल हितग्राही से अभिप्राय ऐसे बालक/बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है, परन्तु स्नातक में अध्ययनर्त रहने की स्थिति मैं, 24 वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक, इनमें से जो भी कम हो (परिशिष्ट-3.2) और जिनके माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.2.1) या माता-पिता का निधन पूर्व में हों गया था तथा उनके वैध अभिमावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.2.2) या माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका हैं तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। (परिशिष्ट-3.2.3)

"कोविड-19 से मुत्यु" का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक अवधि में हुई।

10.3.3 योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक हैं कि (परिशिष्ट 4) - प्रभावित परिवार मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हों, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो, बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हो जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन पाने की पात्रता हो।

10.3.4 बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता/अभिमावक की कोविंड-19 से मृत्यु होने से, ये अनाथ हो गये हैं, को उच्च शिक्षा सहायता निम्नानुसार देय होंगी (परिशिष्ट 5.3.2) -

(अ) शासकीय अथवा केंद्र/राज्य शासन से अनुदानित विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में हितग्राहियों को प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क सहित अन्य समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क (मेंस शुल्क सहित) का लाभ देय होगा साथ ही क□शनमनी जमा कराने से छूट रहेगी। बाल हिंतग्राहियाँ का प्रवेश निःशुल्क होगा। समस्त शुल्क की संबंधित संस्था को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ब) ऐसे निजी विश्वविद्यालय/अशासकीय महाविद्यालयों में जहाँ शुल्क का निर्धारण मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा नियत किया जाता है, उनमें अध्ययनरत होने पर उक्त कंडिका - 'अ' अनुसार समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क या रूपये 15,000 जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति बाल हितग्राही के आधार - लिंक्ड बैंक खाते में की जावेगी।

10.3.5 इस योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थी जो पूर्व से किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं, उन्हें भी योजना लागू वर्ष से लाम प्रदान किया जा सकेगा। (परिशिष्ट-5.3.4)

10.3.6 यह स्पष्ट किया जाता है कि बाल हितग्राही को उच्च शिक्षा हेतु किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने पर उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षो के लिए ही शिक्षा प्राप्ति संबंधी लाम प्राप्त करने की पात्रता होगी। (परिशिष्ट-5.3.5)

10.3.7 शासन की अन्य योजनाओं का लाभ-मुख्यमंत्री केबिड-19 बाल कल्याण योजना का लाभ, बाल हितग्राहियों को शासन की अन्य योजनाओं के अंतर्गत वेय लाभ के अतिरिक्त होगा किन्तु बाल हितग्राही को शिक्षा शुल्क आदि का दोहरा भुगतान किसी अन्य योजना से नहीं होगा । (परिशिष्ट-8)

10.4 लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 :–

इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत छात्राओं को स्नातक एवं व्यावसायिक पाठ्यकम में प्रदेश लेने पर 25,000/- की प्रोत्साहन राशि 02 समान किश्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जावेगी। लाड़ली लक्ष्मी बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु स्नातक स्तर तक का शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा ।

योजना का उद्देश्य –

1. मध्यप्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना ।
2. आम जनता में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना।
3. समाज में बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
4. बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छी नींव प्रदान करना।

पात्रता की शर्त :–

1. एक जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात जन्मी बालिका ।

2. मात्ता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो ।

3. माता-पिता आयकर दाता न हों।

4. माता-पिता जिनकी 02 या 02 से कम संतान हों, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन . अपनाया गया हो।

विशेष :- उपरोक्त पात्रता शर्तो के अतिरिक्त पात्रता हेतु लाडली लक्ष्मी योजना 20 में उल्लेखित विशेष प्रकरण संबंधी प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।

योजना का लाभ :-

1. लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12 वीं के पश्चात स्नातक अथवा व्यावस्ताथिक पाठयकम में (पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम 02 वर्ष) प्रवेश लेने पर रूपए 25,000/- की प्रोत्साहन राशि 02 समान किश्तों में पाठुयक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जावेगी।

2. लाडली बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

11. वन-स्टेप-अप योजनान्तर्गत प्रवेश (स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु) :-

11.1 स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु वन-स्टेप-अप योजनांतर्गत प्रायमरी/मिडिल स्कूल शिक्षकों के लिए कंबल शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु नियम व शर्ते म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. ए44-27/2015/20-2, का 18 जून 2015 के अनुसार रहेगी। इस हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उल्लेखित पाठयक्रमों,"विषयों में महाविद्यालय में सीटों के 02 प्रतिशत स्थान उपलब्ध रहेंगे।

11.2 वन-स्टेप-अप योजना के अंतर्गत प्रवैश ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे । आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय /पाठ्यक्रम चयन/ ई-सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, आवेदकों को प्रवेश समय सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदक को उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा ।

12. प्रावधिक प्रवेश हेतु पात्रता :-

12.1 स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है ।

12.2 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष /"छटवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टरतक के प्राप्तांको का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। गुणानुक्रम का निर्धारण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा। स्नातक अंतिम वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में स्थान रिक्त होने पर प्रावधिक प्रवेश के लिये पात्र होंगे ।

12.3. महाविद्यालय, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रथम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय के परीक्षा फार्म भर हा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी द्वारा नियमानुसार अर्हकारी परीक्षा पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर ली गई है। अर्हकारी की परीक्षा (स्नातक पाठ्यक्रम) में किसी भी स्तर पर पूरक/ए.टी.के.टी. प्राप्त छात्र स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने हैतु पात्र नही होंगे।

12.4 प्रावधिक प्रवेश प्राप्त आवेदक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर स्वयं के दायित्व/जिम्मेदारी पर प्रवेश लेंगे। स्नातक तृतीय वर्ष/षष्ठम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम से गुणानुक्रम में परिवर्तन होने की स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी को महाविद्यालय बदलने का अधिकार नहीं होगा अथवा अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में प्रायधिक रूप से प्रवेशित विद्यार्थी नियमित प्रवेश मे वंचित हो जाएगा ।

12.5 स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के नियमों की पात्रता के अनुसार क्रमशः स्नातक द्वित्तीय एवं तृतीय वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

13. प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया (शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों हेतु) :-

प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय

सेमेस्टर के विद्यार्थियों के प्रवेश नवीनीकरण का कार्य संबंधित पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस की समय-सीमा में ऑनलाइन ई-प्रयैश पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किया जाएगा।

पूर्व से संचालित पाठ्यकमों हेतु निम्न प्रावधान होंगे :-

14. स्नातक स्तर हेतु :- पात्र विद्यार्थियों को स्नातक क्वार पर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा। शेष वर्षो में (वित्तीय व तृतीय वर्ष)/शेष सेमेस्टरों में (तृतीय व पंचम सेमेस्टर) प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया होंगी। यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन हीं होगी।

14.1.1 वार्षिक प्रणाली में प्रथम एवं द्वित्तीय वर्ष में उत्तीर्ण/एक विषय मैं पूरक प्राप्त विद्यार्थी को आगामी वर्ष में प्रवेश की पात्रता होंगी।

14.1.2 सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत तृतीय/पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पिछले सेमेस्टर में उत्तीर्ण/किसी भी एक सेमेस्टर में दो तथा एक समय में अधिकतम चार विषयों में ए.टी.के.टी. (Allowed to Keep Terms) प्राप्त विद्यार्थी को प्रयेश की पात्रता होगी। लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्नों में ए.टी.के.टी. की पाझता नहीं होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत वार्षिक पद्धति से संचालित स्वशासी/अन्य महाविद्यालयों हेतु प्रावधान :-

14.1.3 आर्डिनेंन्स (4 बीं) के अनुसार

(अ) यदि कोई छात्र किसी भी प्रश्न पत्र में एफ/F (Fail) या एबी/AB (Absent) ग्रेड प्राप्त करता हैं, तो उसे प्रश्न पत्र में पूरक/अनुत्तीर्ण माना जाएगा। ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय/ स्वशासी महाविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में पुनरू शामिल होना होगा। सीं.सी.ई. के अंक कैरी फारवर्ड किए जा सकेंगे एवं ग्रेंड निर्धारण हेतु पुनर्परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़े जायेंगे।

(ब) छात्र को अगले वर्ष में तभी पदोन्लत किया जाएगा जब वह एक वर्ष में कुल क्रेडिट के आधे क्रेडिट प्राप्त करता है, (उदाहरणार्थ वार्षिक परीक्षा पद्धति के कुल 40 क्रेडिट में से 20) यदि छात्र कुल क्रेडिट के आधे से कम क्रेडिट प्राप्त करता है, तो छात्र को उस वर्ष में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, इस स्थिति में अनुत्तीर्ण छात्र को भा वर्ष पुनः दोहराना होगा साथ हीं वह वर्ष शून्य वर्ष माना जाएगा। ऐंसे अनुत्तीर्ण छात्रों को अगले वर्ष में पदोननत नहीं किया जाएगा।

(स) यदि कोई छात्र किसी यर्ष में सभी प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण होता है. तो छात्र को उस वर्ष में उत्त्तीर्ण घोषित किया जाएगा। यदि छात्र वर्ष के कल क्रेडिट के कम से कम आधे क्रेडिट प्राप्त करता है और कुछ प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्नों में पूरक सहित अस्थायी रूप से अगले वर्ष में पदोन्नत किया जा सकेगा।

(द) यदि छात्र अगली पूरक परीक्षा में सभी प्रश्न पत्रों को पास करने में असफल रहता है, तो अस्थायी पदोन्नति समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन उसे असफल प्रश्न पत्रों को पास करने का दूसरा मौका दिया जाएगा। मान लीजिए कि उपरोक्त दूसरे अवसर के बाद भी छात्र संबंधित पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा नहीं करता हैं, ऐसे प्रकरण में छात्र को अनुत्तीर्ण माना जाएगा और वह वर्ष शून्य वर्ष के रूप में माना जाएगा, एवं छात्र को पूरे वर्ष को दोहरानें दे लिए कहा जाएगा।

(य) यदि वर्तमान महाविद्यालय में स्नातक कार्यक्रम के चौथे वर्ष का अवसर छात्रों को नहीं दिया जा रहा हो तो उसी विश्वविद्यालय के अन्य महाविद्यालय/यू.टी.डी. में स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर में अच्थायी प्रवेश की अनुमति दी जाएगी ।

18.2 स्नातकोत्तर स्तर हेतु :- पात्र विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा। तृतीय सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया होंगी। तृतीय सेमेस्टर में पिछले सेमेस्टर (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) में उत्तीर्ण/किसी एक सेमेस्टर में दो तथा एक-समय में कुल 4 प्रश्नपत्रों में ए.टीके.टी, प्राप्त विद्यार्थियों को पात्रता होगी। लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपन्नों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।

14.3 नवीनीकरण शुल्क संबंधी निर्देश-नियमानुसार संबधित महाविद्यालय द्वारा प्रवेश नवीनीकरण हेतु पात्र विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रमोट किया जाएगा। स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी पात्रतानुसार 500/10 रूपए प्रथम किश्त के

रूप में ऑनलाइन जमा कर प्रवेश प्राप्त करेंगे । कार्यालयीन पत्र क्रमांक 68/17/आउशि/आई टी./19 भोपाल, दिनांक 05.03.2020 के तहत निर्धारित, समस्त विद्यार्थियों को प्रवेश नवीनीकरण हेतु पोर्टल शुल्क रूपये 30/- देय होंगा। प्रवेश शुल्क कौ शेष राशि संबंधित महाविद्यालय द्वारा तीन किश्तों में महाविद्यालय आरंभ होने पर ऑनलाइन जमा की जावेगी ।

14.4 सत्र 2021-22 से लागू मुख्यमंत्री कोविंड-19 बाल कल्याण योजना (कण्डिका 11.3) के अन्तर्गत नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता हैं।

14.5 शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर उनके पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश-
कंडिका 23.1 (अ) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रदेश में वार्षिक सेमेस्टर पति के अंतर्गत अध्ययनरत् उनके पाल्यों को पाठ्यक्रम के बीच में स्नातक-स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा । इस हेतु शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र तथा आव्रजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा। स्नातकोत्तर-स्तर पर प्रवेश के लिये आवेदक को संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

14.6 स्वाध्यायी (प्राईवेट) से नियमित प्रवेश संबंधी प्रावधान :- मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 97/380/सीसी/14/38, दिनांक 16 फरवरी 2015 अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी सत्र में नियमित प्रवेश से वंचित हो जाते हैं, वह विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्त्तर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं तथा परीक्षा उपरान्त विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी महाविद्यालय में संबंधित कोर्स/विषय में स्थान रिक्त होने पर पात्रतानुसार स्नातक स्तर पर द्वितीय/तृतीय वर्ष में तथा तृत्तीय/पंचम सेमेस्टर में एवं स्नातकोत्तर स्तर पर (विज्ञान व प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) तृत्तीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

14.6.1 राज्य शासन के आदेश क्र. 1615/1929/2018/38-2, दिनांक 19.12.2018 के तहत ऐसे सभी नियमित/असंस्थागत विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वह सत्र 2023-24 में वार्षिक पद्धति के अंतर्गत स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश ले सकेंगे तथा ऐसे सभी असंस्थागत विद्यार्थी जो सत्र 2022-23 की स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे वे विद्यार्थी सत्र 2023-24 में स्नातक स्तर के द्वितीय/तृतीय वर्ष में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश ले सकेंगे ।

14.7 पूर्व छात्र (Ex-Student) को नियमित प्रवेश संबंधी निर्देश :- जिन विद्यार्थियों को 'पूर्व छात्र' की श्रेणी में रखा गया था थे आगामी सेमेस्टर/वर्ष की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। उत्तीर्ण होने की दशा में जुलाई माह से प्रारंभ होने वाले भन्न में स्थान रिक्त होने पर नियमानुसार शुल्क जम्रा करने पर नियमित प्रवेश दिया जाएगा ।

14.8 पूर्व छात्र (Ex-Student) के प्रवेश की स्थिति निर्मित होने पर महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने की दशा में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से स्थान (सीट) वृद्धि की अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

14.9 महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया :-

महाविद्यालय स्तर पर संचालित छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी महाविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाइन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयावधि में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

15. स्नातक कक्षाओं में ए.टी.के.टी/पूरक से संबंधित प्रवेश नियम
पूर्व से संचालित पाठ्यकमों हेतु निम्न प्रावधान होंगे :-

15.1. सेमेस्टर के अंत में संबंधित सेमेस्टर की समी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ आप हो) विषयों में ए.टी.के.टी. प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होंगी। वार्षिक पद्धति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् सत्र के दौरान एक विषय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहां लागू हो) में पूरक प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी।

15.2 वार्षिक पद्धति में एक विषय में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को पूरक की पात्रता होगी तथा पूरक प्राप्त

आवेदकों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार अगले वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रावधिक प्रवेश निरस्त माना जावेगा ।

15.3. सेमेस्टर पद्धत्ति में विद्याथी एक समय में चार ए.टी.के.टी के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक विधयों में ए.टी.के,टी. की पात्रता नहीं होगी ।

15.4. स्नातक पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र.शासन, उच्च जिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. 1668/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू हेंगे।

15.5 विशेष परीक्षार्थी :- कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 1204/387/आउशि/शा-5 'अ'/2012 भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2012 के अनुसार जिला/संभाग राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद/कला-संर.ति (युवा उत्सव)/एन. सी.सी /एन.एस.एस./स्काउट एवं रेडक्रॉस सोसायटी के क्षेत्र में यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के दौरान किसी प्रतियोगिता आदि में शामिल होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्राचार्य के प्रमाणित करने पर उन विद्यार्थियों की परीक्षाएं उसी सत्र में परीक्षा समाप्ति 10 दिवस में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा समय सारणी जारी कर, आयोजित की जायेगी और उनके परीक्षा परिणाम अन्य परीक्षाओं के साथ ही जारी किये जाएंगे।

16. स्नातकोत्तर कक्षाओं में ए.टी.के.टी से संबंधित प्रवेश नियमः-

16.1 सेमेस्टर के अंत में निर्धारित सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी।

16.2 दो प्रश्न पत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू हैं) अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।

16.3 विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।

16.4. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. 1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू, होंगे।

17. प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण :-

17.1 समस्त शासकीय महाविद्यालयों में सीट संख्या का निर्धारण उपलब्ध अधोसंरचना तथा शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य, जनमागीदारी समिति से सक्षम अनुमोवन प्राण कर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

17.2 शासकीय महाविद्यालयों में कक्षा/विषयवार सीट संख्या का निर्धारण संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। प्रवेश प्रकिया के मध्य कक्षा/विषयवार सीट संख्या में वृद्धि हेतु कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही कर सकेंगे।

17.3 अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीट संख्या अनुसार प्रवेश नियमों के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होंगे ।

17.4 इस सम्बंध में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित्त किया जावे।

17.5 उच्च शिक्षा विभाग हारा जारी निर्देशों के परिपालन में निर्धारित तिथियों में समस्त महाविद्यालय संस्था में संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम, विषय समूह निर्धारित भीट संख्या एवं पाठ्क्रमवार/वर्गवार गत शुल्क (संबंधित विश्वविद्यालय के नामांकन शुल्क सहित) एवं नवीनीकरण की पृथक-पृथक विस्तृत जानकारी के साथ महाविद्यालय का बैंक खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड़ आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से ऑनलाइन विभागीय (https://epravesh.mponline.gov.in) पोर्टल पर दर्ज/अद्यतन कर लॉक करेंगे।

17.6 महाविद्यालय बैंक खात्ता क्रमांक की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे इसके साथ ही बैंक खाते का क्रास चौक पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को प्रवेशित विद्यार्थियों से संबंधित प्रवेश शुल्क की राशि अन्तरित की जाएगी।

17.7 प्रवेश प्रकिया के अन्तर्गत नवीन सत्र में सीट संख्या का निर्धारण करते समय शासकीय महाविद्यालयों में गत वर्ष के स्नातक/स्नावकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम/विषय समूह में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या को राउण्डअप करते हुए सीट

संख्या निर्धारित की जाएगी ।

18. समकक्ष बोर्ड संबंधी प्रवेश नियम :-

18.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन (सी.बी.एस.ई.)/इण्डियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं।

18.2 उच्च शिक्षा विभाग की ई-प्रवेश प्रक्रिया के पोर्टल से सम्बद्ध होने के लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल से समकक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त कर, उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात् ही ऐसे बोर्ड ऑनलाइन ई-प्रवेश पोर्टल पर मान्य सूची में प्रदर्शित होंगे, ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हैतु पंजीयन कर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

18.3 विदेशी बोर्ड से अर्हकारी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक ने यदि मध्यप्रदेश के शासकीय अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में पंजीयन करवाया है ऐसी स्थिति में आवदेक को केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी समकक्षता प्रमाण पत्र अपलोड करने पर पात्रता अनुसार ई-प्रवेश प्रक्रिया मं शामिल किया जा सकेगा।

18.4 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की समस्त परीक्षाएं राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के समकक्ष मान्य होंगी ।

18.5 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओँ की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समग्र पर जादी फर्जी अथवा मान्यता-विहीन विश्वविधालय या शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा /उपाधि मान्य नहीं होंगी।

18.6 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक प्राठयक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेड्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लीनिकल बॉयोकेमस्ट्री, माइक्रोबॉयलाजी एण्ड मैनेजमेंट कस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा-प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी, पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित हैं। उपरोक्त विषयों को साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाव ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऑनलाइन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदन की पावती अपलोड करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हैलु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र को अंतिम माना जायेगा। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्नता के परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।

18.7 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की 'उत्तर मध्यमा परीक्षा' को हायर सेकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।

19. प्रवेश की पात्रता :-

19.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा

(अ) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, मध्यप्रदेश में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय सेवक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संघालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन मध्यप्रदेश में हो, उनके पाल्यों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों/भूटान के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ब) उपरोक्तानुसार प्रवेश के पश्चात् स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्त्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार प्रवेश दिया जा सकेगा ।

(स) संबंधित विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/ महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।

(द) कश्मीर और लद्दाख के विस्थापितों एवं उनके पाल्य/पाल्या के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे :-

1. प्रवेश की अंतिम तिथि में अधिकतम 30 दिन की छूट।
2. न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में अधिकत्तम 0 प्रतिशत की छूट, अगर आवेदक पात्रता की अन्य शर्ते पूरी करता हो। (विधि पाठ्यक्रमों को छोड़कर) ।
3. उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि।
4. स्थानीय निवासी होने की ही आम से पूर्ण छूट ।
5. द्वितीय और आने वाले वर्षो में आव्रजन की सुविधा।
6. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर एक प्रतिशत का आरक्षण।

(य) प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi द्वारा प्रदेश में (12 B of UGC Act. के तहत मान्य) महाविद्यालयों में दो अधिसंख्य सीटों का सृजन कर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। उक्त विद्यार्थियों को सीट आवंटन के बाद प्रवेश देने के पूर्व सम्बद्ध विश्वधरिद्यालय अनुसार पात्रता सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। उक्त प्रवेशित विद्यार्थी की जानकारी ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में दर्ज करने का दायित्व भी संबंधित महाविद्यालय का होगा।

20. विशेष प्रकरण संबंधी प्रवेश हेतु पात्रता, अपात्रता :-

20.1 किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को (विधि संकाय को छोड़कर) अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है।

20.2 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने या महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने के प्रमाणित दोषी और रैगिंग के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को भी प्राचार्य प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं हैं। रैगिंग के संदर्भ में यू.जी.सी, के ज्ञापन क्र, एफ-1-16/2007 (सी.पी.पी.-1) अप्रैल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग हट प जारी पत्र क्र, 829/469/आउशि/ शा-1/08 दिनांक 18, जून 2008 के अनुसार जीरो टालरेंस पॉलिसी (Zero Tolerance Policy) लागू रहेगी ।

20.3 ट्रांन्सजेंडर को केवल सह-शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में ही प्रदेश दिया जायेगा।

20.4. पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है। लेकिन दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

21. बाहय राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम :-

21.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता है, किंतु सम्बंधित विश्वविद्यालय/ स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय-समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो तो संबंधित परीक्षण के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

21.2 मध्यप्रदेश राज्य के बाहर ता ली द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर को प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा झंबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषय/ विषयों/विषय-समूह की अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

21.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा। शपथ-पत्र में फर्जी, किसी भी तरह की झूठी,"गलत जानकारी पाये जाने की दशा में संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए हुए प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्ष तक प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा।

21.4 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व, प्राचार्यो द्वारा संबंधित राज्यों एवं स्थानीय आरक्षी केन्द्रों के माध्यम से

पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य हैं।

21.5 केन्द्र सरकार 2 अक 2 अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था लागू रहेगी।

21.6 महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्ययनरत संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

21.7 जिन विषयों में प्रवेश के लिये प्रदेश के विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, उन विषयाँ में अन्य राज्य के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

22. आरक्षण :-

मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण निम्नानुसार होगा :-

22.1 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मैरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उत्त विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी । संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

22.2 अनुसूचित जाति (अ, जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गो के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

22.3 पिछड़े वर्ग (क्रीमी-लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681-227-इक्कीस-आ (प्रा) अधि. दिनांक 13.08. 2019 द्वारा संशोधित आदेश पर याचिका कमांक डब्ल्यू पी. 5901/2019 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा)

22.4. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र, पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence Personal) के आश्रितों /सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गो के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरकित रखे जायेंगे। इससे सम्बद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्यांकों के 40 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धाश्ति किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा।मारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों /अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा -

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित ।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित ।
3, शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित-परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मैडल पत्रों में उल्लेख।
6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल ।
7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित ।
8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

22.5 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगाँ को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। विव्यांग आवेदकों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वाश प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र (जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो) पंजीयन के समय अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।

22.6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS- Economically Weaker Section) :- आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 40 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 444 /243/आउशि/शा.-5'अ'/2019 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुक्रम में दिया जायेगा। पंजीयन के समय ई. डब्लूएस, प्रमाण पत्र अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।

22.7 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

22.8 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत्त/दिवंगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यो, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रणिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृत्तीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पालयों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखें जायेंगे।

22.9 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उत्ती श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के ब्रीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेंगी।

22.10 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश :-

अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पंजीयन, आवंटन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु पोर्टल (https://epravesh.mponline.gov.in) पर पृथक से उपलब्ध लिंक के माध्यम से संचालित होगी।

सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विमाग के पोर्टल पर अपनी संस्था को रजिस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में सम्बंधित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों विषयों, उनकी ग्रीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित विश्वविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आवंटन की प्रकिया 01 : 01 (अल्पसंख्यक श्रेणी : गैर अल्पसंख्यक श्रेणी) के अनुपात में की जावेगी ।

22.11 कंडिका 6.4 अनुसार सी.एल.सी. अंतिम चरण में समय सारणी अनुसार पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के (आवेदक उपलब्ध न होने पर) रिक्त स्थान अनारक्षित ख्सामान्य) श्रेणी के आवेदकों हेतु परिवर्तित किये जायेंगे।

22.12. समय-समय पर बयान द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा ।

22.13 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो, पात्र आवेवकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा । संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों कौ प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देंगी तथा प्रवेशित विद्यार्थियाँ की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेंगी ।

23. अधिभार :-

अधिमार हेतु प्रमाण पत्र संबंधी :-

(अ) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिभार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के विगत चार क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2019-20 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।

(ब) स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिभार हेतु स्नातक स्तर में आवेदक के विगत तीन क्रमिक सत्र (अर्थात् - सत्र 2020-21 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।

(स) अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन-पत्र में उल्लेख करना अनिवार्थ है। सत्यापन के लिये पंजीयन आवेदन पत्र में उल्लेखित, संबंधित प्रमाणपत्र अनिवार्यत्तः अपलोड करने होंगे। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिमार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।

- खेलकूद विधा में महाविद्यालय में कुल सींट संख्या के अतिरिक्त 5 सीट खेलकूद में 'ए' श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों के लिए आउटराईट के आधार पर सुरक्षित होंगी । (24 मई 2022 के आदेशानुसार)
- कला-संस्कृति (युवा उत्सव)/एन.सीसी.-एन.एस.एस.-स्काउट एवं रेडक्रॉस सोसायटी में शामिल 'ए' श्रेणी प्राप्त आवेदकों के लिए प्रत्येक महाविद्यालय में कुल सीट के अतिरिक्त 5-5 सीट आउटराईट के आधार पर आवंटित करने के लिए सुरक्षित होंगी।
- राज्य संभाग/जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के आवेदकों के लिए बी, सी और डी में अभिभार के आधार पर, गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- आउटराईट के आवेदकों की संख्या अधिक होने पर स्वतः सीटों में वृद्धि की जायेगी ।

23.1 खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए

श्रेणी A विशेष प्रोत्साहन - आउटराइट (Outright)

1. ऑलंपिक खेल/वर्ल्डकप चेम्पियनशिप/वर्ल्डकप/कॉमनवेल्थ गेम्स/एशियन गेम्स/एशियन चेम्पियनशिप/साउथ एशियन गेम्सपैरालंपिक गेम्स/अंतर्राष्ट्रीय यूथ गेम्स में माग लेने वाले खिलाड़ी	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउटराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा
2. एस.जी.एफ.आई. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता एवं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित अधिकृत भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 2 वर्ष में आयोजित होनें वाली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता जूनियर प्रतियोगिता, राष्ट्रीय खेल/फेडरेशन कप/सीनियर नेशनल इंटर जोनल नेशनल/नेशनल स्कूल गेम्स/अंडर 17/19/खेलो इंडिया स्कूल/यूथ गेम्स अंडर 17/21/यूथ/जूनियर नेशनल सब जूनियर/जोनल नेशनल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त/प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियाँ को ।	

श्रेणी B- (प्रतिशत अधिभार)

स्टेट प्रशिदागिता/इंटर जोनल एवं मध्यप्रदेश राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय /अन्तर संभाग/अन्तर जिला/ सीबीएससी/ केवीएस/ आईपीएससी / डीएवी/ एनवीएस /विद्या भारती प्रतियोगिता के अंतर्गत	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रधम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को	15 प्रतिशत अधिभार
	प्रधम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	10 प्रतिशत अधिभार

श्रेणी C- (प्रतिशत अधिभार)

लोक शिक्षण संचालनालय अथवा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला/संभाग स्तर जिले की प्रतियोगि सीबीएससी क्लस्टर/कैवीएस/एनवीएस, डी.ए. की,/विद्या/भारती/सुब्रतो-कप/स्कूल स्पोर्टस (जिला स्पोर्ट्स-एसोसिएशन /जिला/डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन/ जिला स्कूल बोर्ड से प्रमाणित) के अंतर्गत	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रधम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को	10 प्रतिशत अधिभार
	प्रधम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	5 प्रतिशत अधिभार

23.2 कला -संस्कृति (युवा उत्सव आदि) की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए

श्रेणी A - विशेष प्रोत्साहन - आउटराइट (Outright)

अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं प्रतिभागिता पर राष्ट्रीय युवा उत्सव में सहभागिता पर	गतिविधियाँ • नृत्य (भारतीय शास्त्रीय/ लोक), गायन • (हिन्दुस्तानी/पाश्चात्य) • क्विज • रचनात्मक लेखन (हिन्दी एवं अंग्रेजी) • डिजिटल मीडिया (फोटोग्राफी/एनीमेशन/ फिल्म मेकिंग) • संगीत वादन (हिन्दुस्तानी/पाश्चात्य) • फाइन आर्टस (स्केचिंग/पेंटिंग/ स्कल्पचर) • थियेटर • वादविवाद (हिन्दी एवं अंग्रेजी) • विज्ञान संबंधी गतिविधियां	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम केसीट निर्धारण के साथ आउटराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा

श्रेणी - B, C एवं D (प्रतिशत अधिमार)

नृत्य भारतीय शास्त्रीय/लोक, गायन हिन्दुस्तानी /पाश्चात्य- शास्त्रीय /सुगम लोक पाश्चात्य सुगम) क्विज रचनात्मक लेखन (हिन्दी एवं अंग्रेजी) डिजिटल मीडिया (फोटोग्राफी/ एनीमेशन/फिल्म मेकिंग) संगीत वादन (हिन्दुस्तानी पाश्चात्य) फाइन आर्ट्स (स्केचिंग/पेंटिंग /स्कल्पचर) ललितकला थियेटर डिबेट (वादवियाद हिन्दी एवं अंग्रेजी)	B	राज्य स्तर पर प्रथम/द्वितीय/ तृतीय स्थान एवं प्रतिमागिता पर	15 प्रतिशत अधिमार
	C	संभाग स्तर पर प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त हो होने पर अधिभार हेतु पात्रता होगी परन्तु प्रतिभागिता सम्मिलित नहीं होगी	10 प्रतिशत अधिमार
	D	जिला स्तर पर प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त हो होने पर अधिभार हेतु पात्रता होगी परन्तु प्रतिभागिता सम्मिलित नहीं होगी	05 प्रतिशत अधिमार

23.3. एनसीसी./एन.एस.एस./ स्काउट्स (स्काउट/गाईड्स/रेन्जर्स) एवं रेडक्रास सोसायटी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों हेतु -

श्रेणी A विशेष प्रोत्साहन - आउटराइट (Outright)

1	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश के एन.सी.सी./एन. एस. एस. कॉन्टिनजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउटराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा
2	राष्ट्रपति स्काउट	
3	मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	
4	ड्यूक ऑफ एडिनबरा अबार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	
5	भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लने वाले कडेट	
6	एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय जम्हुरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	

श्रेणी B- (प्रतिशत अधिभार)

1	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	10 प्रतिशत
2	राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता	
3	राज्यपाल स्काउट	

श्रेणी C - (प्रतिशत अधिमार)

1	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'ए' सर्टिफिकेट	7 प्रतिशत
2	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	

श्रेणी D - (प्रतिशत अधिमार)

1	भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	5 प्रतिशत
2	एन.सी.सी./एन.एस.एस. द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	

23.4	ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	10 प्रतिशत

23.5	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य कुछ यूथ अथवा साईन्स एण्ड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित और प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को	10 प्रतिशत

24. प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान :-

24.1 प्रवेश पश्चात् प्राचार्य के अधिकार :-

24.1.1 जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों या प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीयश किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है, तब संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

24.1.2 प्रावधिक प्रवेश के मामले में प्राचार्य पृथक सूची तैयार करेंगे औरयह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों ने वे सारी पूर्तियाँ पूरी कर ली हैं, जिनके अभाव में उन्हें तत्समय प्रावधिक प्रवेश दिया गया था।

24.1.3 नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के लगातार पंद्रह दिवस तक ऑनलाइन/ऑफलाइन कक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा। प्रवेश निरस्त करने से पूर्व संस्था द्वारा विद्यार्थी अभिभावक को अनुपस्थिति की सूचना प्रदान करते हुए कारण जानना होगा। तदोपरांत ही समुचित कारण होने पर प्राचार्य हारा प्रवेश निरस्त करने संबंधी कार्यवाही की जाएगी। प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से भेजनी होंगी।

24.1.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 24.2 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे संस्था से निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।

24.2. प्रवेश शुल्क वापसी की प्रक्रिया :-

शुल्क वापसी की प्रक्रिया हेतु मार्गदर्शिका के बिन्दु क्रमांक 07 एवं कण्डिका 7.1 का नियमानुसार पालन सुनिश्चित किया जावेगा ।

24.2.1 प्रावधिक प्रवेश पश्चात् अनुत्तीर्ण घोषित होने की स्थिति में विद्यार्थी को प्रवेश प्रक्रिया शुल्क रूपये 100/- काटकर शेष जमा प्रवेश शुल्क (कॉशन मनी सहित) वापत्त किया जाएगा।

24.2.2 प्रवेश पश्चात् शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थी के निष्कासन की स्थिति में विद्यार्थी को कॉशन मनी के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

24.2.3 प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अन्यत्र प्रवेश हो जाने पर तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को यू.जी,सी. के नोटिफिकेशन अक्टूबर 2018 के तहत महाविद्यालय द्वारा राशि वापिस की जावेगी।

रिमार्क :- यू.जी.सी. द्वारा सूचित वैधानिक प्रोफेशनल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत माने जायेंगे।

24.3 हितग्राही योजना परिवर्तन :-

24.3.1 ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में पाता अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना / लाडली लक्ष्मी योजना/मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योज़ना में विद्याथी प्रवेशित महाविद्यालय में परिवर्तन कर सकेंगे। योजना परिवर्तन करने पर नियमानुसार प्रवेश शुल्क जमा/वापसी करना अनिवार्य होगा।

24.3.2 इस संबंध में महाविद्यालय विधिवत् सूचना प्रसारित कर, प्राप्त आवेदन अनुसार कार्यवाही करेंगें। महाविद्यालय द्वारा किये गये परिवर्तन की जानकारी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन मॉड्यूल में भी दर्ज़ करनी होगी अन्यथा किये गये परिवर्तन मान्य नहीं होंगे।

24.4 विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन :-

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में प्रवेशित महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु पात्रता अनुसार संबंधित संकाय/कक्षा/विषय में स्थान रिक्त होने पर परिवर्तन संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। निर्धारित समय श्रीमा में विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय स्तर पर प्रस्तुत आवेदनों पर पात्रता /गुणानुक्रम का उल्लंघन न होने की शर्त पर विषय/पाठ्यक्रम/संकाय में परिवर्तन कौ कार्यवाही की जा सकेगी। संबंधित महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन मॉड्यूल पर निर्धाश्ति समय सीमा में जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा।

24.5 प्रवेशित विद्यार्थी हेतु महाविद्यालय स्थानांतरण प्रक्रिया :-

सत्र 2023-24 में स्नातक/स्नातकोत्तर पर प्रवेशित विद्यार्थी यदि अपना महाविद्यालय परिवर्तन (स्थानांतरण) करना चाहते हैं ऐसे स्थित्ति में प्रवेशित विद्यार्थी पर्याप्त कारण सहित लिखित आवेदन प्रवेशित महाविद्यालय के प्राचार्य की सहमति के साथ जिस महाविद्यालय मैं प्रवेश स्थानांतरित किया जाना है तो प्रस्तुत करना होगा। संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य की सहमति के आधार पर स्थान रिक्त होने की स्थिति में स्थानांतरण किया जा सकेगा। विद्यार्थी के स्थानांतरण आवेदन पर दोनों महाविद्यालय के प्राचार्य की सहमति आवश्यक होगी एक दिवस में एक ही पाठ्यक्रम में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर रिक्त स्थान अनुसार मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जा सकेंगे। प्रवेश स्थानांतरण की दशा में पूर्व महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी से लिया गया सम्पूर्ण शुल्क 03 दिवस की समयावधि में स्थानांतरित महाविद्यालय को अंतरित करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी के पूर्व प्रवेशित महाविद्यालय के प्राचार्यो को पर्याप्त कारण होने पर ही अन्य महाविद्यालय मैं जाने के लिए सहमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगां।

विशेष टीप :- आवेदक का स्थानान्तरण केवल उन्हीं महाविद्यालयों में संभव होगा जहां पूर्व महाविद्यालय में चयनित विषय संचालित हो रहे होंगे एवं रिक्त सीट संख्या के साथ नवीन स्थानान्तरित होने वाले महाविद्यालय की मैरिट सूची अन्तर्गत पात्रता बनती हो।

24.6 अकादमिक कैलण्डर का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के तत्काल बाद सभी शासकीय/अशासकीय/अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के प्राचार्य यह सुनिश्चित्त करेंगे कि प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन प्रवेश शुल्क समय सीमा में जमा किया गया है, साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रवेशित विद्यार्थी ने कयल प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही प्रवेश शुल्क जमा किया है। किसी आवेदक ने प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा न करते हुए संबंधित महाविद्यालय के बैंक खाते में प्रवेश शुल्क जमा कर दिया है ऐसी स्थिति में संबंधित महाविद्यालय को शुल्क जमा होने के तीन विवस की अवधि में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा की अकादमिक शाखा को सूचित कर निराकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रवेश मान्य नहीं किया जायेगा।

24.7 प्रवेशित विद्यार्थियों के त्रुटिपूर्ण डेटा में संशोधन प्रक्रिया :-

(अ) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात प्रवेशित विद्यार्थी को 30 दिवस की समय-सीमा में मूल दस्तावेजों को किसी भी शासकीय महाविद्यालय मे दिखाकर संशोधन की कार्यवाही पूर्ण करना होगा। शासकीय महाविद्यालय ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से समस्त संशोधन की कार्यवाही कर सकेंगे।

(ब) अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं निजी अशासकीय महाविद्यालय को प्रवेश पोर्टल से प्राप्त, ऑनलाइन प्रवेशित सूची में, यदि किसी प्रकार की विसंगति दिखाई देती है तो प्राचार्य प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के 30 दिवस की समय-सीमा में आवेदक के मूल दस्तावेजों को किसी भी शासकीय महाविद्यालय मे दिखाकर संशोघन की कार्यवाही पूर्ण कर सकेंगें। शासकीय महाविद्यालय ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से समस्त संशोधन की कार्यवाही कर सकेंगे ।

24.8 ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय अब पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं। अतः सत्र 2028-24 के समस्त स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश /प्रवेश नवीनीकरण हेतु कंडिका 5.7 के अनुसार पंजीयन एवं पोर्टल शुल्क से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राशि एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को स्थानांतरित की जाएगी।

24.9. प्रवेश निरस्तीकरण उपरान्त विद्यार्थी को दिये गये स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र का ऑनलाइन मॉड्यूल में प्रविष्टि करने संबंधी-एक बार प्रवेश प्राप्त कर लेने के पश्चात् यदि आवेदक द्वारा महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है तो इसकी जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध कराये गये मॉड्यूल में देना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित आवेदकों की वस्तुस्थिति स्पष्ट रहे ।

24.10 अशासकीय महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त होने पर नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये प्रावधान व्यवस्था- ऐसे अशासकीय महाविद्यालयों जिनकी मान्यता अथवा उनके स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों की मान्यता शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त कर दी गई है उनमें विगत वर्षो में नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों को अन्य महाविद्यालयों में उन्हीं पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

24.11 इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है। आयुक्त, उच्च शिक्षा को मशकआ जल मार्गदर्शी सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/स्पष्टीकरण जारी करने/समय सारणी घोषित एवं परिवर्तन करने/प्रवेश पोर्टल संबंधी जानकारी देने/प्रवेश संबंधी निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदत्त किया जाता है। विशिष्ट एवं सैद्धांतिक प्रकरण में अंतिम निर्णय का सम्पूर्ण अधिकार राज्य शासन को होगा।
संलग्न 5- अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2023-24 (परिशिष्ट 1 एवं 2)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

परिशिष्ट -1

अकादमिक कैलेंडर सत्र 2023-2024 (सेमेस्टर कक्षाओं के लिए प्रमावशील)

अकादमिक कार्य	स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय	स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ
आरंभिक कक्षाएँ	01 जुलाई 2023	21 दिसम्बर 2023
शैक्षणिक कार्य	01 जुलाई 2023 से 08 नवम्बर 2023	21 दिसम्बर 2023 से 17 अप्रैल 2024
सी.सी.ई. कार्य	सितम्बर तृतीय सप्ताह	मार्च द्वितीय सप्ताह
प्रायोगिक परीक्षाएँ	20 अक्टूबर 2023 से 05 नवम्बर 2023 के मध्य	01 अप्रैल 2024 से 15 अप्रैल 2024 के मध्य
परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	16 नवम्बर 2023 से 21 नवम्बर 2023	18 अप्रैल 2024 से 22 अप्रैल 2024
सेमेस्टर एवं एटीकेटी परीक्षा	22 नवम्बर 2023 से 12 दिसम्बर 2023	23 अप्रैल 2024 से 15 मार्च 2024
सेमेस्टर अंतराल (ब्रेक) विद्यार्थियों के लिए	13 दिसम्बर 2023 से 20 दिसम्बर 2023	16 मार्च 2024 से 30 जून 2024
परीक्षा परिणामों की घोषाणा	31 दिसम्बर 2023 तक	15 जून 2024 तक

- प्रवेश उत्सव कार्यक्रम - जुलाई 2023
- छात्रसंघ गठन - सितम्बर - 2023
- खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस./युवा उत्सव/ - माह नवम्बर 2023 तक दीक्षान्त समारोह एवं अन्य सम्पूर्ण गतिविधियाँ पूर्ण कर ली जाएँ.
- दीपावली अवकाश - दिनांक 09 नवम्बर से 14 नवम्बर 2023 तक (05 कार्य दिवस)
- स्नेह सम्मेलन/वार्षिकोत्सव/पुरस्कार पितरण वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं विमोचन - फरवरी 2024 द्वितीय सप्ताह

टीप :-

- अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य निर्धारित मानक दिवसों से कम होने की दशा में, महाविद्यालय/विधि स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाये ताकि अकादमिक कैलेण्डर का पालन समयानुत्तार सुनिश्चित किया जा सके ।
- स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु नवीनीकरण प्रकिया को अपनाते हुए शैक्षणिक कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाये ।
- शैक्षणिक कार्य दिवस कम होने पर अतिरिक्त कक्षाएँ संचालित कर पाठ्यक्रम पूर्ण किया जावें।

स्नातकोत्तर सेमेस्टर पद्धति प्रथम/तृतीय कार्य दिवसों की गणना

सत्र 2023-2024

क्र.	माह	दिवस	अवकाश	कार्य दिवस
1	जुलाई 2023	31	5 रविवार + 1 अवकाश	25
2	अगस्त 2023	31	4 रविवार + 2 अवकाश	25
3	सितम्बर 2023	30	4 रविवार + 2 अवकाश	24
4	अक्टूबर 2023	31	5 रविवार + 3 अवकाश	23
5	नवम्बर 2023	30	4 रविवार + 2 अवकाश	24
6	12 दिसम्बर 2023 तक	12	2 रविवार + 0 अवकाश	10
	कुल दिवस	164	33	131

स्नातकोत्तर सेमेस्टर पद्धति प्रथम/तृतीय हेतु शैक्षणिक कार्य दिवसों की गणना

सत्र 2023-2024

क्रमांक	विवरण	कार्य दिवस
1	01 जुलाई 2023 से 12 दिसम्बर 2023 तक कूल कार्य दिवस	131
2	अवकाश एवं शैक्षणेत्तर गतिविधि,/ परीक्षा हेतु अशैक्षणिक दिवस 1. स्थानीय अवकाश - 03 कार्य दिवस 2. दीपावली आवकाश - 05 कार्य दिवस 3. महाविद्यालय स्तर गतिविधियाँ - 08 कार्य दिवस 4. परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश - 05 कार्य दिवस 5. परीक्षा - 20 कार्य दिवस	41
3	कुल शैक्षणिक दिवस (1-2) (131-41)	90

स्नातकोत्तर सेमेस्टर द्वितीय /चतुर्थ कार्य दिवसों की गणना

सत्र 2023-2024

क्र.	माह	दिवस	अवकाश	कार्य दिवस
1	21 दिसम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2023	11	2 रविवार + 1 अवकाश	8
2	जनवरी 2024	31	4 रविवार + 1 अवकाश	26
3	फरवरी 2024	29	4 रविवार + 1 अवकाश	24
4	मार्च 2024	31	5 रविवार + 3 अवकाश	23
5	अप्रैल 2024	30	4 रविवार + 2 अवकाश	24
6	मई 2024	31	4 रविवार + 1 अवकाश	26
7	जून 2024	30	5 रविवार + 1 अवकाश	24
8	कुल दिवस	193	193-38	155

स्नातकोत्तर सेमेस्टर पद्धति द्वितीय /चतुर्थ हेतु शैक्षणिक कार्य दिवसों की गणना

सत्र 2023-2024

क्रमांक	विवरण	कार्य दिवस
1	21 दिसम्बर 2023 से 30 जून 2024 तक कूल कार्य दिवस	155
2	अवकाश एवं शैक्षणेत्तर गतिविधि/परीक्षा हेतु अशैक्षणिक दिवस 1. महाविद्यालय स्तर गतिविधियाँ - 03 कार्य दिवस 2. परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश - 05 कार्य दिवस 3. परीक्षा - 20 कार्य दिवस 4. ग्रीष्म अवकाश - 36 कार्य दिवस	64
3	कुल शैक्षणिक दिवस (1-2) (155-64)	91

सत्र 2023-24 अकादमिक कैलेण्डर
(वार्षिक पद्धति-स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष कक्षाओं हेतु प्रभावशील)

सं. क्र.	विवरण	तिथि
1	प्रवेश प्रारंभ	मई 2023
2	शिक्षण कार्य प्रारंभ	01 जुलाई 2023
3	प्रवेश उत्सव कार्यकम	जुलाई 2023
4	संकाय परिवर्तन/विषय परिवर्तन/प्रवेश समस्या निराकरण शिविर	प्रवेश समाप्ति के पश्चात 30 दिवस तक
	छात्र संघ/सांस्कृतिक, साहित्यिक/खेलकूद एवं अन्य महाविद्यालयीन गतिविधियाँ	
1	छात्रसंघ गठन	सितम्बर 2023
2	विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन/जिला/संभाग/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाएँ	ये सभी गतिविधियाँ माह नवम्बर 2023 तक पूर्ण कर ली जाएं ।
3	खेलकद/एन.सी.ञी./एन.एस.एस./युवा उत्सव/दीज्ञान्त समाशेह एवं अन्य गतिविधियाँ	
4	वार्षिक स्नेह सम्मेलन/वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं विमोचन	फरवरी द्वितीय सप्ताह 2024 (अधिकतम 03 कार्य दिवस)
	आंतरिक मूल्यांकन/वार्षिक परीक्षाएं	
1	पूरक परीक्षा प्रारंभ	16.09.2023 से 30.09.2023
2	पूरक परीक्षा परिणाम की घोषणा	31.10.2023
3	तिनाही परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन	सितम्बर अंतिम सप्ताह 2023
4	छःमाही आंतरिक मूल्यांकन	दिसम्बर अंतिम सप्ताह 2023
5	सैद्धान्तिक परीक्षा कार्यक्रम की विस्तृत घोषणा	21 फरवरी 2024
6	सभी स्नातक कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि	14 मार्च से 25 मार्च 2024
7	परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	26 मार्च से 31 मार्च 2024
8	वार्षिक परीक्षा	01 अप्रैल से 31 मई 2024
9	(i) स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि	31 मई 2024
	(ii) शेष समस्त परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि	31 जुलाई 2024
	अवकाश	
1	दीपावली	दिनांक 09 नवम्बर से 14 नवबर 2023 तक (05 कार्य दिवस)
2	ग्रीष्म अवकाश (शिक्षकों हेतु)	16.05.2024 से 30.06.2024 (कुल 36 कार्य दिवस)

नोट :- स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया जाए।

कार्य दिवसों की गणना सत्र 2023-24
(वार्षिक पद्धति-स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष कक्षाओं हेतु प्रभावशील)

(अ)		अवकाश
1.	रविवार	52
2.	सामान्य अवकाश	17 कार्य दिवस
3.	स्थानीय अवकाश	03 कार्य दिवस
4.	दीपावली अवकाश	05 कार्य दिवस
5.	छात्रसंघ गठन/ महाविद्यालयीन सांस्कृतिक गतिविधियाँ आदि	15 कार्य दिवस
	योग	92
(ब)	परीक्षा /ग्रीष्मावकाश के अशैक्षणिक दिवस	
1	परीक्षा पूर्व तैयारी	06 कार्य दिवस
2	परीक्षा अवधि	44 कार्य दिवस
3	ग्रीष्म अवकाश	36 कार्य दिवस
	योग	86 कार्य दिवस
(स)	कूल अशैक्षणिक दिवस (अ+ब) (92+86) = 178	178 कार्य दिवस
(द)	कुल शैक्षणिक दिवस (365 -178) = 187	

नोट- अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य निर्धारित मानक 80 दिवसों से कम होने की दशा में, महाविद्यालय/वि.वि स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाये ताकि अकादमिक कैलेण्डर का पालन समयानुसार सुनिश्चित किया जा सके एवं शैक्षणिक कार्य दिवस कम होने पर **अतिरिक्त कक्षाएँ संचालित कर पाठयक्रम पूर्ण किया जावे।**

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

छात्र/अभिभावकों द्वारा सामान्यत: पूंछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया हेतु पंजीयन (Registration) कहाँ करना होगा ?

उत्तर उच्च शिक्षायोजित ऑन विभाग द्वारा आलाईन प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन (Registration) करने हेतु एम. पी. ऑनलाईन के पोर्टल (https://epravesh.mponline.gov.in) पर क्लिक करें । स्नातक स्तर के पाठ्यकमों हेतु Under Graduate Tab एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों हेतु Post Graduate Tab पर क्लिक करने के उपरांत पंजीयन फार्म की लिंक उपलब्ध होगी । मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल / सी.बी.एस.ई / आई.सी.एस.ई बोर्ड से 10 + 2 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जानकारी उपरोक्त बोर्ड द्वारा जारी किये गये परीक्षा परिणाम से स्वतः सत्यापित हो जावेगी । जिससे अभ्यथी की जानकारी पंजीयन फार्म में भरी हुई दर्शित होगी ।

प्रश्न 2 बोर्ड चयन, रोल नम्बर व नाम भरने के बाद स्वतः भरी हुई सूचनाओं या अंकों में गलती पाई जाये तो कया मैं सूचनाओं या अंकों को ठीक कर सकता हूँ ?

उत्तर अ. पंजीयन शुल्क भुगतान के पूर्व तक की स्थिति में आवेदक स्वतः भरी हुई सूचनाओं या अंकों में (रोल नंबर एवं नाम को छोडक़र) स्वयं संशोधन कर सकता है ।

ब. पंजीयन शुल्क भुगतान के पश्चात आवेदक निकटतम शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेन्टर) द्वारा फॉर्म अनलॉक करवाकर स्वयं/कियोस्क/महाविद्यालय के द्वारा संशोधन (रोल नंबर एवं नाम को छोड़कर) करवा सकता है। संशोधन पश्चात पुनः विकल्प चयन कर सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा ।

प्रश्न 3 क्या पंजीयन फार्म में त्रुटि सुधार संभव है ?

उत्तर अ. पंजीयन शुल्क गुगतान से पूर्व हाँ आवेदक अपने लॉगिन आई.डी से पंजीयन फार्म में त्रुटि सुधार कर सकते हैं ।

ब. पंजीयन शुल्क भुगतान के पश्चात :- आवेदक निकटतम शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेन्टर) द्वारा फॉर्म अनलॉक करवाकर स्वयं/कियोस्क/महाविद्यालय के द्वारा त्रुटि सुधार कर सकेगा । त्रुटि सुधार पश्चात पुनः विकल्प चयन कर सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा ।

प्रश्न 4 पंजीयन करते समय किन दस्तावेजों को अपलोड करना होगा ?

उत्तर ई सत्यापित आवेदकों को कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं करना होगा केवल अधिभार के इच्छुक आवेदकों को दस्तावेज अपलोड करने होंगे । पंजीयन के समय आवेदक को ई - सत्यापन हेतु स्वयं की फोटो के साथ निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा (स्पष्ट एवं पठनीय) -

(अ) - अंक सूची - न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा स्नातक प्रथम वर्ष हेतु बारहवीं, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु स्नातक अंतिम वर्ष/षष्ठम सेमेस्टर

(ब) जाति प्रमाण पत्र - (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग), यदि लागू हो तो

(स) संवर्ग प्रमाण पत्र- (दिव्यांग/आर्थिक रत्न से कमजोर वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संबंधी/उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के पाल्य आदि) यदि लागू हो तो

(द) अधिभार संबंधी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो
(मार्गदर्शिका की कण्डिका 5.4.1 से 5.4.4 का अवलोकन करें)

प्रश्न 5 च्वाईस फिलिंग लॉक करने के पश्चात्च्वाईस फिलिंग में परिवर्तन कैसे करें ?

उत्तर च्वाईस फिलिंग लॉक करने के पश्चात आवेदक हेल्प सेन्टर के माध्यम से फॉर्म को अनलॉक करवाकर महाविद्यालय/स्वयं/कियोस्क के माध्यम से च्वाईस फिलिंग में परिवर्तन कर सकता है ।

प्रश्न 6 क्या 40 + 2 में पूरक (Supplementary) प्राप्त विद्याथी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया हेतु पंजीयन (Registration) के लिए पात्र होंगे ?

उत्तर कक्षा 42 वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है । प्रवेश प्रकिया संचालन के मध्य पूरक परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्हें आगामी चरण/सी.एल.सी में अपने ऑनलाईन आवेदन को अद्यतन करने के साथ ही महाविद्यालय/पाठ्यकम की च्वाईस फिलिंग एवं दस्तावेज/प्रमाण पत्र को स्कैन कर अनिवार्यतः ऑनलाईन अपलोड करना होगा । प्रवेश प्रकिया के सी.एल.सी. चरण तक आवेदकों

के पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित न होने की स्थिति में इन विद्यार्थियों को स्थान रिक्त रहने पर ही प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा । इस हेतु पूरक परीक्षा परिणाम वाली अंक सूची ही ऑनलाईन पंजीयन के समय अपलोड करनी होगी।

प्रश्न आवेदन कमांक (Application ID) और पासवर्ड (Password) गुम/भूल जाने की स्थिति में कैसे वापस प्राप्त किया जा सकता है ?

उत्तर आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध Know your Applicant id m Forget Your Password के द्वारा अपने आवेदन क्रमांक (Application ID) एवं पासवर्ड (Password) प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न 8 क्या पंजीयन शुल्क भुगतान के समय पर ट्रांजेक्शन फेल (Transaction Fail) होने की स्थिति में दुबारा पंजीयन करवाना होगा ?

उत्तर नहीं, आवेदक Fill/Pay Unpaid Registration Form Tab के द्वारा अपने पंजीयन आवेदन का पुनः शुल्क भुगतान कर सकते हैं ।

प्रश्न 9 पंजीकृत मोबाईल नम्बर (Registered Mobile Number) गुम हो जाने की स्थिति में ओ.टी.पी. कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?

उत्तर पंजीकृत मोबाईल नम्बर गुम हो जाने की स्थिति में आवेदक प्रवेश नियम एवं मार्गदशी सिद्धान्त में दिये गये ई - मेल आई.डी. पर मैसेज के द्वारा सूचित कर / नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क कर नया मोबाईल नंबर दर्ज कराने की प्रकिया पूर्ण कर सकते हैं ।

प्रश्न 10 स्नातक अंतिम वर्ष / छटवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में पंजीयन के समय कौन सी अंक सूची अपलोड करनी होगी ?

उत्तर स्नातक अंतिम वर्ष / छटवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में आवेदक स्नातकोत्तर स्तर में प्रावधिक प्रवेश हेतु केवल स्नातक द्वितीय वर्ष / पांचवें सेमेस्टर की अंकसूची अपलोड करेंगे।

प्रश्न 11 स्नातक अंतिम वर्ष / छटवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावीण्यता हेतु पंजीयन फार्म में कौन से प्राप्तांक/प्रतिशत दर्ज करना होगा ?

उत्तर स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष/छटवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन-के समय दर्ज करना होगा । गुणानुक्रम का निधीरण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा।

प्रश्न 12 मैंने प्रवेश के प्रथम चरण में पंजीयन नहीं करवाया है क्या मैं सी.एल.सी. चरण हेतु नया पंजीयन करवा सकता हूं ?

उत्तर हाँ, आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है . समय - सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन पश्चात सी.एल.सी. चंरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे ।

प्रश्न 13 पुनः वरीयता/विकल्प चयन हेतु क्या कोई शुल्क देय होगा ?

उत्तर नहीं।

प्रश्न 14 पंजीयन के समय आवेदक कितने महाविद्यालय/पाठ्यक्रम का विकल्प चयन कर सकते हैं ?

उत्तर सत्र 2024-22 में ऑनलाईन ई - प्रवेश प्रकिया में पंजीयन के समय आवेदक न्यूनतम अधिकतम 7 महाविद्यालयों/पाठ्यकरमों का चयन करते हुए विकल्प चयन (च्वाईस फिलिंग) कर उत्तर एवं सकेंगे ।

प्रश्न 15 क्या एक ही महाविद्यालय में एक से अधिक पाठ्यकम का चयन किया जा सकता है ?

उत्तर हाँ।

प्रश्न 16 मेरी बारहवीं की अंक सूची ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित है । योग्यता के विवरण खण्ड (Qualification Details) में प्रविष्टिकिस प्रकार करूँ ?

उत्तर बारहवीं की अंक सूची ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित होने पर योग्यता के विवरण खण्ड में ड्रॉप डाउन मेन्यू से ग्रेडिंग सिस्टम का चयन करें एवं अंकसूची में दर्शित ग्रेड को नियमानुसार प्रतिशत में परिवर्तित कर प्रविष्ट करें ।

प्रश्न 17 अतिरिक्त विषय संबंधी जानकारी कब भरना होगा ?

उत्तर पंजीयन के समय आवेदन फार्म में योग्यता का विवरण खण्ड (Qualification Details Box) में अतिरिक्त विषय की जानकारी भरना होगा ।

प्रश्न 18 मैंने बारहवीं में मुख्य विषय गणित के साथ अतिरिक्त विषय बायोलॉजी का भी अध्ययन किया है, जो अंक सूची में दर्शित है, मैं किस संकाय में आवेदन करने हेतु पात्र हूँ ?

उत्तर आवेदक को दोनों संकाय में प्रवेश हेतु पात्रता है । गणित मुख्य विषय के साथ प्राप्तांक के आधार पर पात्रता निधारित की जायेगी । बायोलॉजी अतिरिक्त विषय का लाभ लेने हेतु गणित के प्राप्तांक के स्थान पर बायोलॉजी के प्राप्तांक जोड़कर प्रतिशत की गणना की जायेगी ।

प्रश्न 19 स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु आयु संबंधी क्या प्रावधान है ?

उत्तर वर्ष 2048-49 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा हटाई गई है अर्थात सभी विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा ।

प्रश्न 20 मैंने सत्र 2018-19 में बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण की थी , 02 वर्ष अंतराल (Gap) के बाद क्या मै सत्र 2021-22 प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता हूँ ?

उत्तर हाँ प्रवेश उपरान्त ऑनलाईन रिपोर्टिंग के समय आवेदक को महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाये गये अंतराल प्रपत्र (Gap Proforma) को जमा करना होगा ।

प्रश्न 21 10 + 2 परीक्षा के उत्तीर्ण विद्याथी कौन - कौन से विषय में प्रवेश के लिए पात्र होंगे ?

उत्तर

सं.क्र.	10+2 अर्हकारी परीक्षा	स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु पात्र
1	विज्ञान	विज्ञान विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय/वाणिज्य संकाय/कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए. (गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनवार्य)
2	वाणिज्य	वाणिज्य संकाय/कला संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए. (गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनवार्य)
3	कला	कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए. (गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनवार्य)
4	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान संकाय/कला संकाय
5	कृषि	कला संकाय/बीएससी (जीवन विज्ञान समूह) (जीवन विज्ञान समूह के एलाइड) विषयों जैसे - माइक्रोवायोलॉजी, वायोटेक्नॉलाजी, सीड टेक्नोलाजी आदि विषय
6	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	कला संकाय/वाणिज्य संकाय/ विज्ञान संकाय/ गृह विज्ञान संकाय अंकसूची में दर्शित विषयों के- अनुसार इस हेतु प्रवेश मार्गदशिका की कण्डिका 5.1.6 का अवलोकन करें ।

प्रश्न 22 पात्रता प्रमाण पत्र के अभाव में पंजीयन किस प्रकार होगा ?

उत्तर ऑनलाईन आवेदन की पावती अपलोड करना आवश्यक होगा ।

प्रश्न 23 विश्वविद्यालय से पात्रता कब प्राप्त करनी होगी ?

उत्तर सर्वप्रथम आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध Eligiblity Tab द्वारा पाठ्यक्रम हेतु पात्रता की जांच करें, आवश्यक होने पर पंजीयन के पूर्व विश्वविद्यालय से पात्रता हेतु ऑनलाईन आवेदन करें एवं ऑनलाईन आवेदन की रसीद पंजीयन के समय अनिवार्यतः अपलोड करें ।

प्रश्न 24 बी.सी.ए. में प्रवेश लेने हेतु पात्रता क्या होगी ?

उत्तर बी.सी.ए. में प्रवेश हेतु 10 + 2 परीक्षा कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं जीवविज्ञान में उत्तीर्ण विद्याथी गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे। (10+2 परीक्षा की अंकसूची में गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के रूप में होना अनिवार्य है।)

प्रश्न 25 मैं पूर्व का हायर सेकेण्ड्री (ग्यारहवीं) उत्तीर्ण आवेदक हूं क्या प्रवेश पंजीयन हेतु पात्र हूं ? मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पूर्व के हायर सेकेण्ड्री (ग्यारहवीं) उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

प्रश्न 26 एम.एस. डब्लू पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता प्रतिशत क्या है ?

उत्तर एम.एस. डब्लू पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता 45% है।

प्रश्न 27 नामांकन प्रकिया क्या होगी ?

उत्तर स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों को ऑनलाईन पंजीयन के समय ही ऑनलाईन नामांकन फॉर्म भी भरना होगा । प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त के भुगतान उपरान्त आवेदक के नामांकन एवं यूनिक आई.डी की कार्यवाही स्वतः पूर्ण हो जायेगी ।

प्रश्न 28 स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में क्या करना होगा

उत्तर ऑनलाईन पंजीयन के समय आवेदक के स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में पिता के नाम का स्थायी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा । उसके पश्चात ही प्रवेश हे तु जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन एवं लाभ प्राप्त हो सकेगा । प्रवेश पश्चात महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के सम्रय स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

प्रश्न 29 जाति प्रमाण पत्र डिजिटल नहीं है ?

उत्तर आवेदक का जाति प्रमाण पत्र डिजिटल न होने के स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूर्व के वैध जाति प्रमाण पत्र भी सत्यापन हेतुमान्य किये जायेंगे ।

प्रश्न 30 मध्यप्रदेश का मूल निवासी हूं परन्तु 10 वीं एवं 12 वीं की परीक्षा किसी अन्य राज्य से उत्तीर्ण की है तो क्या मुझे मध्यप्रदेश के मूलज्ननिवासी का लाभ प्राप्त होगा ?

उत्तर मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी जिन्होंने कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की परीक्षाएं अन्य प्रदेश में अध्ययन कर उत्तीर्ण की हैं किन्तु वे मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें पंजीयन के समय मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्यतः अपलोड करना होगा , अन्यथा उन्हें मध्यप्रदेश के मूल निवास का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

प्रश्न 31 कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की परीक्षा मैने मध्यप्रदेश से उत्तीर्ण की है, क्या मुझे पंजीयन के समय मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा ?

उत्तर मध्यप्रदेश राज्य से दसवीं एवं बारहवीं उत्तीर्ण आवेदक जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी है उन्हें पंजीयन के समय के समय मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

प्रश्न 32 पंजीयन के समय दिव्यांग श्रेणी का लाभ लेने हैतु क्या करना होगा ?

उत्तर दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निधारित प्रारुम में जारी प्रमाण पत्र (जिसमें 10 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो) पंजीयन के समय अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ प्राप्त हो सकेगा ।

प्रश्न 33 मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों के पाल्यों हेतु क्या प्रावधान है ?

उत्तर मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत्त/दिवंगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचायी, प्राध्यापकों, ग्रंथयालों, कीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पालयों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गी में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इस श्रेणी का लाभ लेने हेतु पंजीयन के समय ही प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा जिसमें कर्मचारी क्रमांक (Employee Code) का उल्लेख हो ।

प्रश्न 34 में आर्थिक रुप्र से कमजोर वर्ग (Ews) का आवेदक हूँ प्रवेश हेतु क्या लाभ प्राप्त होगा ।

उत्तर आर्थिक रूम से कमजोर - सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा । इस हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Ews) का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है । लाभ लेने हेतु पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा ।

प्रश्न 35 अधिभार हेतु सत्र 205-46 का प्रमाण पत्र उपलब्ध है क्या इसका लाभ प्राप्त होगा ?

उत्तर नहीं। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिभार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के विगत चार क्रमिक सत्र (अर्थात सत्र 2018-19 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे । स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिभार हेतु स्नातक स्तर में आवेदक के विगत तीन कमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2019-20 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे ।

प्रश्न 37 मैं ऑनर्स से स्नातक उत्तीर्ण आवेदक हूँ , स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने पर क्या कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा ?

उत्तर ऑनर्स विषय पाठ्यकम उत्तीर्ण विद्याथी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर प्राप्तांकों का 10 प्रतिशत अधिभार प्राप्त होगा ।

प्रश्न 36 मेरे पास एन.सी.सी / एन.एस.एस का श्ए श सर्टिफिकेट है क्या प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु कोई लाभ प्राप्त होगा ?

उत्तर एन.सी.सी / एन.एस.एस के 'ए' सर्टिफिकेट प्राप्त आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु प्राप्तांकों का 7 प्रतिशत अधिभार प्राप्त होगा ।

प्रश्न 37 मैं एन.सी.सी / एन.एस.एस 'सी' सर्टिफिकेट धारी हूँ क्या स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु कोई लाभ प्राप्त होगा ?

उत्तर एन.सी.सी/एन.एस.एस 'सी' सर्टिफिकेट प्राप्त आवेदकों को स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्राप्तांकों का 10 प्रतिशत अधिभार प्राप्त होगा ।

प्रश्न 38 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने हे तु क्या प्रावधान है ?

उत्तर स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विधि संकाय में प्रथम चरण से ही प्रवेश दिया जा सकेगा ।

प्रश्न 39 दस्तावेजों का सत्यापन कहाँ होगा ? उत्तर सत्र 2022 - 23 में सत्यापन की प्रक्रिया मध्यप्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में ऑनलाईन सम्पन्न की जावेगी ।

प्रश्न 40 क्या दस्तावेजों के सत्यापन के पहले महाविद्यालय / पाठ्यक्रम का चयन करना अनिवार्य है ?

उत्तर हाँ, दस्तावेजों के ई - सत्यापन के पहले महाविद्यालय / पाठ्यकम का चयन करना अनिवार्य है । ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन प्रवेश प्रकिया के अंतर्गत एक से अधिक संकाय में आवेदन करना चाहते हैं । उन्हें पृथक - पृथक पंजीयन कराना होगा । एक आवेदक सामान्य एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालय के लिए संयुक्त सत्र से महाविद्यालय की च्वाइस फिलिंग कर सकेंगे ।

प्रश्न 41 ई - सत्यापन प्रकिया क्या होगी ?

उत्तर ई - सत्यापन हेतु समस्त शासकीय महाविद्यालय आवंटन अनुसार ई - प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदकों के पंजीयन फॉर्म का सत्यापन अपलोड किए गए प्रमाण पत्र/दस्तावेजों को डाउनलोड कर परीक्षण उपरांत संबंधित अधिकारी सत्यापन पूर्ण के बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जिससे आवेदक का ई-सत्यापन सुनिश्चित हो सकेगा । आवेदक का फार्म ई - सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजी.त मोबाईल नंबर / ई - मेल पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जावेगी । आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फार्म के ई - सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ।

प्रश्न 42 असत्यापित/त्रुटिपूर्ण आवेदन की स्थिति में क्या करना होगा ?

उत्तर यदि किसी आवेदक के पंजीयन आवेदन पत्र में त्रुटि है या अपलोड किए गए आवश्यक प्रमाण पत्र / दस्तावेज अस्पष्ट / अपर्याप्त / अपूर्ण पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदन फार्म का ई - सत्यापन नहीं किया जा सकेगा । इसकी सूचना आवेदक को पंजीकृत मोबाईल नंबर / ई - मेल पर संदेश के माध्यम से दी जावेगी । ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया हेतु निधारित समय सारणी अनुसार आवेदक स्वयं / अभिभावक मूल दस्तावेजों के साथ किसी भी निकटतम शासकीय महाविद्यालय (Help Center) में उपस्थित होकर त्रुटि सुधार / पुनः सत्यापन करवा सकेंगे । शासकीय महाविद्यालय (Help Center) ऐसे आवेदकों के पंजीयन आवेदन में त्रुटि सुधार कर उनके सही दस्तावेज अपलोड कर पुनः सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे ।

प्रश्न 43 प्रथम चरण में सीट आवंटित न होने पर मुझे क्या करना होगा ?

उत्तर प्रथम चरण में सीट आवंटित न होने पर आगामी चरण में शामिल होने हेतु समय सारिणी अनुसार ऑनलाईन महाविद्यालय / पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

प्रश्न 44 सी . एल . सी आवेदन हे तु क्या महाविद्यालय जाने की आवश्यकता है ?

उत्तर नहीं । सत्र 2022-23 में ऑनलाईन सी.एल.सी प्रवेश प्रकिया होगी इस हेतु महाविद्यालय स्तर पर कोई लिखित आवेदन नहीं लिये जायेंगे

प्रश्न 45 प्रथम चरण में मुझे प्रथण विकल्प (First Choice) का महाविद्यालय आवंटित हुआ परन्तु मैने प्रवेश नहीं लिया, मुझे आगामी चरण की प्रवेश प्रकिया में शामिल होने हेतु क्या करना होगा ?

उत्तर यदि आवेदक को प्रथम चरण में प्रथम च्वाइस का महाविद्यालय आवंटित होता है एवं वह उस महाविद्यालय में प्रवेश

नहीं लेता है, ऐसी स्थिति में आगामी चरण में उसे तब तक स्वतः कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपनी च्वाइस / विकल्प पुनः न भर दे ।

प्रश्न 46 मुझे द्वितीय विकल्प (Second Choice) का महाविद्यालय आवंटित हुआ और मैंने प्रवेश नहीं लिया तो मुझे अगले चरण में शामिल होने हेतु क्या करना होगा ? उत्तर द्वितीय विकल्प (Second Choice) का महाविद्यालय आवंटित होने पर यदि प्रवेश नहीं लिया जाता है., तो अगले चरण में शामिल होने हेतु पुनः ऑनलाईन महाविद्यालय / पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प रहेगा ।

प्रश्न 47 प्रथम चरण में प्रवेश लेकर प्रवेश निरस्त करवाने पर मुझे अगले चरण में शामिल होने हेतु क्या करना होगा ?

उत्तर प्रथम चरण में प्रवेश प्राप्त कर प्रवेश निरस्त कराने वाले आवेदक को पूर्व में आवंटित पंजीयन कमांक (रजिस्ट्रेशन आई.डी.) के आधार पर ही आगामी चरण में प्रवेश हेतु पुनः वरीयता / विकल्प ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होंगा द्य ऐसा करने पर ही आवेदक आगामी चरण की प्रवेश प्रकिया में शामिल हो सकेंगे ।

प्रश्न 48 महाविद्यालय आवंटन की सूचना कैसे प्राप्त होगी क्या इस हेतु मुझे महाविद्यालय जाना होगा ?

उत्तर आवंटन की सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदक को किसी भी महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है । महाविद्यालय आवंटित होने की सूचना आवेदक के पंजी.त मोबाइल नंबर पर दी जावेगी । इसके अतिरिक्त आवेदक ई प्रवेश पोर्टल पर महाविद्यालय आवंटित होने / न होने की अद्यतन स्थिति स्वयं के आई.डी. पासवर्ड से भी जान सकते हैं।

प्रश्न 49 प्रथम चरण प्रवेश प्रकिया उपरान्त आगामी चरण में शामिल होने हेतु पाठ्यकम / पुनः विकल्प चयन से पूर्व विभिन्न महाविद्यालयों के रिक्त स्थान की जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है ?

उत्तर प्रथम चरण प्रवेश प्रकिया उपरान्त आगामी चरण में शामिल होने हेतु पाठदयकम / पुनः विकल्प चयन से पूर्व विभिन्न महाविद्यालयों के रिक्त स्थान की जानकारी ई - प्रवेश पोर्टल पर तरलरपलू ढरल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 50 ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया में कक्षावार / वर्गार कटऑफ की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ ?

उत्तर ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया के प्रत्येक चरण में आवंटन के साथ ई प्रवेश पोर्टल पर विभिन्न महाविद्यालयों की कक्षावार / वर्गवार कट - ऑफ की जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

प्रश्न 51 रुक जाना नहीं योजना के आवेदकों हेतु प्रवेश प्रकिया क्या होगी ?

उत्तर ई-प्रवेश प्रक्रिया के दौरान परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में रुक जाना नहीं योजना अन्तर्गत उत्तीर्ण आवेदक, स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पंजीयन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान / दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन कर ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे । महाविद्यालय स्तर पर ई - सत्यापन पश्चात ऐसे आवेदक अहता पूर्ण होने पर गुणानुकम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे । परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में ऐसे आवेदक स्वाध्यायी (प्राइवेट) छात्र के रुप्र में शामिल होकर अगले वर्ष पात्रता पूर्ण करने एवं स्थान रिक्त होने की दशा में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे ।

प्रश्न 52 विषय चयन कब और कैसे करना है ?

उत्तर कब-महाविद्यालय / संकाय आवंटन पश्चात प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदकों को ऑनलाईन विषय चयन करना होगा।

कैसे - आवेदकों को महाविद्यालय आवंटित होने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में नवीन पाठ्यकम अनुसार सर्वप्रथम ऑनलाईन विषय चयन की प्रकिया के अंतर्गत पूर्व पात्रतानुसार तीन मुख्य विषय पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे । आवेदक आवंटित तीन मुख्य विषय को ही चयनित कर सकता है । आवेदक अभिरूचि अनुसार तीन मुख्य विषय में से किसी एक के स्थान पर अन्य संकाय से तीसरे मुख्य विषय का चयन भी कर सकता है । आवेदक को किसी भी संकाय से एक जैनरिक विषय एवं एक व्यवसायिक विषय का चयन करना स्वैच्छिक होगा ।

प्रश्न 53 योजना का चयन कब और कैसे करना है ।

उत्तर कब ऑनलाईन प्रवेश शुल्क भुगतान करते समय योजना का चयन करना होगा ।

कैसे- आवेदक पात्रतानुसार ऑनलाईन पोर्टल पर मुख्यमंत्री मेधावी विद्याथी योजना / मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन योजना / मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में से किसी एक योजना का बटन क्लिक कर निःशुल्क प्रवेश प्राप्त कर सकता है ।

प्रश्न 54 मुख्यमंत्री मेधावी विद्याथी योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है ?

उत्तर यह योजना केवल स्नातक स्तर पर प्रदान की जावेगी । मुख्यमंत्री मेधावी विद्याथी योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक है कि आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो । आवेदक के पिता / पालक की वार्षिक आय छःलाख रुपये से कम हो । आवेदक ने 12 वीं परीक्षा मध्यप्रदेश गाध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा सी.बी.एस.ई / आई.सी.एस.ई बोर्ड से 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो ।

प्रश्न 55 मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है?

उत्तर यह योजना स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर प्रदान की जावेगी विद्याथी के माता/पिता का म.प्र. शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रुप्र में पंजीयन होना अनिवार्य है।

प्रश्न 56 प्रवेश शुल्क भुगतान के समय ट्रांजेक्शन फेल (Transaction Fail) होने की स्थिति में क्या करना होगा ?

उत्तर आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन यदि फेल होता है तो इस राशि की वापसी उसी बैंक खाते में आयेगी जिस बैंक खाते से आवेदक ने भुगतान किया है । प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा । अतः ट्रांजेक्शन के फेल होने की स्थिति में आवेदक को पुनः पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा द्य अन्यथा आवेदक का नाम प्रवेश सूची में दर्शित नहीं होगा ।

प्रश्न 57 प्रवेश शुल्क भुगतान किस प्रकार किया जा सकता है ?

उत्तर प्रवेश शुल्क का भुगतान आवेदक नेट बैंकिंग/केडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/यू.पी.आई के माध्यम से स्वयं कर सकेगा या उपरोक्त सुविधा उपलब्ध न होने पर कियोस्क के माध्यम से शुल्क भुगतान कर प्रवेश प्राप्त कर सकेगा

प्रश्न 58 क्या प्रवेश के समय ही प्रवेश शुल्क की सम्पूर्ण राशि का भुगतान करना होगा ?

उत्तर आवेदक को ऑनलाईन विषय चयन करने के उपरांत प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त राशि रुपये 1,000 / - ऑनलाईन जमा करना होगा । प्रवेश शुल्क की शेष राशि तीन किश्तों में संबंधित महाविद्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि में डिजिटल माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा । मुख्यमंत्री मेधावी विद्याथी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड- 49 बाल कल्याण योजना के आवेदकों के लिए प्रक्रिया मार्गदर्शिका कण्डिका 13.1, 13.2 एवं 13.3 के अनुसार होगी ।

प्रश्न 59 सर्टिफिकेट कोर्स की चयन प्रक्रिया क्या होगी ?

उत्तर विश्वविद्यालय / महाविद्यालय स्तर पर संचालित छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियग्ति विद्याथी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे । ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी महाविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाईनपोर्टल पर प्रवेश प्रकिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयावधि में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

प्रश्न 60 हितग्राही योजना परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है ?

उत्तर ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया समाप्ति के पश्चात उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में विद्यार्थी प्रवेशित महाविद्यालय में पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन योजना / मुख्यमंत्री कोविड- 19 बाल कल्याण योजना में परिवर्तन कर सकेंगे । योजना परिवर्तन करने पर नियमानुसार प्रवेश शुल्क जमा/वापसी करना अनिवार्य होगा द्य

प्रश्न 61 प्रवेश पश्चात् विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन की प्रक्रिया होगी ?

उत्तर ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया समाप्ति के पश्चात उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में प्रवेशित महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु पात्रता अनुसार संबंधित संकाय/कक्षा/विषय में स्थान रिक्त होने पर परिवर्तन संबंधी कार्यवाही की जायेगी, निर्धारित समय सीमा में विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय स्तर पर प्रस्तुत आवेदनों पर पात्रता/गुणानुक्रम का उल्लंघन न होने की शर्त पर विषय / पाठ्यक्रम/संकाय में परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न 62 क्या स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष/तृतीय वर्ष एवं पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर हेतु ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया होगी ?

उत्तर सत्र 2021-22 में स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष/तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर हेतु ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया होगी, महाविद्यालय द्वारा पात्र विद्याथियों को ऑनलाईन प्रमोट किया जाएगा विद्यार्थी ई-प्रवेश पोर्टल पर नामांकन क्रमांक दर्ज कर फीस भुगतान कर प्रवेश प्राप्त कर सकेगें ।

महाविद्यालय परिवार

शैक्षणिक स्टाफ

डॉ. बी.डी. अहिरवार, प्राचार्य
एम.ए. (लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र), पी.एच.डी.

राजनीति विज्ञान विभाग

डॉ. कुलदीप यादव, सहायक प्राध्यापक M.A., Ph.D., NET, SET
डॉ. नितीश ओबराइन, सहायक प्राध्यापक M.A., Ph.D., NET
डॉ. अशोक पन्या, अतिथि विद्वान M.A., Ph.D., NET

समाजशारत्र विभाग

श्री शैलेन्द्र सकवार, सहायक प्राध्यापक M.A., NET, SET
डॉ. मृदुल सेन, अतिथि विद्वान (समाज शारत्र) M.A., Ph.D.

वाणिज्य विभाग

डॉ. सिद्धार्थ गणवीर, प्राध्यापक M.A., Ph.D.
डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक M.A., Ph.D.
सुश्री आकर्षा तिवारी, सहायक प्राध्यापक M.Com., NET
डॉ. राजेश कुशवाहा, अतिथि विद्वान M.Com., Phil
डॉ. बाबू लाल अहिरवार, अतिथि विद्वान M.A., Ph.D.

डॉ. एच.आर.ठाकुर, प्राध्यापक (हिन्दी) M.A., Ph.D.
डॉ. रश्मि प्रीति गुरु, अतिथि विद्वान (हिन्दी) M.A., Ph.D.
डॉ. आर.के. नगाइच, सहायक प्राध्यापक (भौतिक शास्त्र)
डॉ. स्वीटी मिश्रा, सहायक प्राध्यापक (गणित) M.Sc., Ph.D.
श्री विवेक द्विवेदी, सहायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) M.Sc., NET
डॉ. रेखा राय, अतिथि विद्वान (जीव विज्ञान) M.Sc., Ph.D.
श्री राजकुमार प्रजापति, अतिथि विद्वान (वनस्पति शास्त्र) M.Sc.
डॉ. अनंत प्रकाश दुबे, अतिथि विद्वान (इतिहास) M.A., Ph.D., NET
श्री राजाराम अहिरवार, अतिथि विद्वान (इतिहास) M.A., M. Phil
श्री गजराज अहिरवार, अतिथि विद्वान (अंग्रेजी) M.A.
श्री सुनील चक्रवर्ती, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी M.P.Ed.
श्री संजय सिंह ठाकुर, ग्रंथपाल, M. Lib.

कार्यालयीन स्टाफ

श्री एम.के.सिरोठिया, सहायक ग्रेड -3,
मो. 7445276044
श्री विनोद कुमार पाठक, सहायक ग्रेड -3
मो. 9893686720
श्रीमति पुष्पा गोलिया, सहायक ग्रेड-3
श्री बृजेश सोनी, कम्प्यूटर ऑपरेटर
(कार्यालय)
श्री सुखनंदन रैकवार, कम्प्यूटर ऑपरेटर
(कार्यालय, पत्राचार)
श्री ओ. पी. श्रीवास्तव
(कम्प्यूटर ऑपरेटर, छात्रवृति प्रभारी, लेखा एवं अन्य कार्य)
मो. 8319513533
श्री कपिल रैकवार
(प्रवेश प्रभारी)
मो. 9685732397
श्री नारायण प्रसाद (छात्र कल्याण प्रभारी)
मो. 9098707506
श्री कामता प्रसाद (सफाई कर्मी)
श्री भूपेन्द्र दीक्षित (गार्ड)
श्री नारायण अहिरवार (बुक लिफ्टर)
श्री रुपराम विश्वकर्मा (चौकीदार)
श्री नंदकिशोर पटेल (दैनिक श्रमिक)

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग की अभिनव योजनायें

अकादमिक उन्नयन एवं गुणवत्ता
नैक के द्वारा नवाचार जनभागीदारी समितियों के द्वारा

व्यक्तित्व विकास एवं समाज के प्रति चेतना
युवा गतिविधियाँ एन.सी.सी., एन.एस.एस.,
सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियाँ

उच्च शिक्षा में नवाचार-एजूसेट परियोजना दूरस्थ
अंचल के छात्रों के लिए शिक्षा के नये सोपान

अवसर पहचानने के लिए
सरकार आपके साथ

स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना
युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए

शिक्षा एवं संस्कार
सरकार आपके द्वार

नयी उड़ानों की तैयारी
गाँव की बेटी योजना

- मुख्यमंत्री मेघावी छात्र योजना नि:शुल्क प्रवेश
- असंगठित श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियों का नि:शुल्क प्रवेश
- गाँव की बेटी योजना
- स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना
- एजूसेट परियोजना
- एन.एस.एस. सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियाँ
- शत् प्रतिशत् पुस्तकालय आटोमेशन
- प्रतिभा किरण
- एस.सी., एस.टी. के विद्यार्थियों को स्टेशनरी एवं पुस्तकों का नि:शुल्क वितरण
- नि:शुल्क स्मार्ट फोन वितरण ।

श्री राजीव गाँधी शासकीय महाविद्यालय बण्डा, जिला-सागर (म. प्र.)

दूरभाष - 07583-252252
वेबसाइट : www.mp.nic.in/highereducationrgpgcbanda
e-mail:hegcbansag@mp.gov.in